उत्तराखण्ड सरकार

वित्त मंत्री

प्रकाश पन्त

का

वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों

पर

we have highlighted the all important policies,programmes,function,schemes,future plan and central govt financial help.Read the document carefully for pre and mains exam of ukpcs.This should be your basic document for economy of uttarakhand,
SAMVEG IAS TEAM samvegias.com

बजट भाषण

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे।
स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते अवन्ति भूयः पुरूषः सुरत्वात।।

(भारत भूमि धन्य है कि देवगण भी न केवल इसका यशोगान करते हैं प्रत्युत सुरत्व त्याग यहाँ जन्म लेने को लालायित रहते हैं)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2018–19 का पर्यावरण मित्र **पेपर लेस** आय–व्ययक सदन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आय–व्ययक राज्य की चौथी विधान सभा में हमारा दूसरा आय–व्ययक है। केन्द्रीय बजट 2018–19 की मूल आत्मा रोटी, कपड़ा और किसान से प्रेरणा लेता हमारा यह आय–व्ययक **''ईज ऑफ डुईंग'' के साथ ''ईज ऑफ लिविंग'' की दिशा स्थापित करता है।**विशाल स्वप्न, ऊँची महत्वाकांक्षा, गहरी प्रतिबद्धता एवं बड़े प्रयत्न इसके आदर्श हैं।

सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो।
शुचि शील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो।।
विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो।
तुमको हमारी चाह हो हमको तुम्हारी चाह हो।।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के समान हमारा यह आय–व्ययक भी युगदृष्टा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के मूल विचार एकात्म अर्थनीति अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक लोकतंत्र की रक्षा करने वाला आर्थिक आयाम, कमाने वाला खाएगा के स्थान पर कमाने वाला खिलायेगा और जो जन्मा है वह खाएगा अर्थात सभी का कल्याण, सभी की चिन्ता की अर्थ–रचना एवं सम्पूर्ण आजीविका के लक्ष्य के साथ श्री बी0आर0 अम्बेडकर के विचार ''Man's life is independent. He is born not for the development of the society alone, but

for the development of his self"से भी सामंजस्य स्थापित करता है। **हमारा यह बजट मा0 मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी की अवधारणा "आपका बजट आपकी राय" पर आधारित एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें जनता से विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव प्राप्त किये गये हैं एवं अधिकांश को समाहित करने का प्रयास भी किया गया है।**

महोदय, अपने पूर्व बजट भाषण में मैंने आर्थिक पुनर्रचना की राष्ट्रवादी तत्व दृष्टि के साथ प्रत्येक व्यक्ति की पाँच आवश्यकताओं यथा रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई एवं दवाई का उल्लेख किया था। इस अवधारणा को और **सशक्त रूप प्रदान करने हेतु** इस बजट में पूर्व में घोषित योजनाओं के साथ–साथ नवीन योजनाओं हेतु भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है।**हमारे इस बजट में लगभग ₹ 45585 करोड़ का प्राविधान किया गया है जो की गत वर्ष के प्राविधानों से लगभग 14.08 प्रतिशत अधिक है।**

New initiative in 2017-18

महोदय,मा0प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी के मूल मंत्र Reform, Perform and Transformके अनुसरण में विगत एक वर्ष में हमारी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में प्रतिमान स्थापित किये हैं।**सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक की स्थापना के फलस्वरूप कार्य की समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास,सेवा का अधिकार कानून के अन्तर्गत 162 नई सेवाओं का जोड़ा जाना,मजबूत ट्रांसफर एक्ट, योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु सी0एम0 डैश बोर्ड 'उत्कर्ष' का प्रारम्भ, सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं मितव्ययता सुनिश्चित करने हेतु गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) की व्यवस्था, खनन विभाग में ई–आक्शन की पारदर्शी प्रक्रिया,विभिन्न अनियमितताओं की समयबद्ध जाँच, केदारनाथ उत्थानचैरिटेबल ट्रस्ट का गठन, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग तथा रुड़की–देवबंद रेलवे लाइन हेतु त्वरित गति से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही, ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने हेतु ₹1500 करोड़ की**

योजना की स्वीकृति, पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी का निर्णय,ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन, स्वास्थ्य केन्द्रों में ई–हैल्थ सेंटरों की स्थापना,देहरादून में प्रथम महिला बैंक की स्थापना, जन शिकायतों के लिए हैल्पलाईन न0 '1905' का प्रारम्भ, एकल महिलाओं के लिए सखी ई–रिक्शा योजना,आदि सरकार की कार्यप्रणाली के साक्षी है।

महोदय यह सरकार के कुशल आर्थिक प्रबन्धन का परिणाम है कि प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर उत्तराखण्ड की **अर्थव्यवस्था का आकार (राज्य सकल घरेलू उत्पाद)वर्ष 2017–18 में ₹2,17,609 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2016–17 की तुलना में ₹22,003 करोड़ अधिक है। वर्ष 2017–18 में वास्तविक राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.77 प्रतिशत अनुमानित है, जो कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर से अधिक है।** राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017–18 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार ₹1,77,356 अनुमानित है जो कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (₹1,11,782) से ₹65,574 अधिक है। राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत् विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0) को राज्य स्तर पर पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा इस वर्ष बजट में सतत् विकास लक्ष्य के विभिन्न टारगेट तथा संकेतांको को 'आउटकम बजट' के रूप में लिया जा रहा है।

SGDP

GDP Growth rate

PCI

वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की।
परिंदो को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की।।
रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का।
उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की।।

एक विकसित, स्वस्थ, उन्नत उत्तराखण्ड की संकल्पना साकार करने की दृष्टि से सरकार ने आगामी वर्षों हेतु अनेक प्रतिबद्धताएँ भी निश्चित की हैं। **2020 तक राज्य की सभी योजना में डी0बी0टी0 लाग ूकरना, पाँच हजार होम स्टे का निर्माण, एक लाख युवाओं**

NEW COMMITMENT

को स्किल्ड बनाना, 200 स्टार्टअप प्रारम्भ करना, सभी 13 जनपदों में ट्रॉमासेंटर, ब्लड बैंक व आई0सी0यू0 की स्थापना, संस्थागत प्रसव बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक लाना, प्रत्येक घर में बिजली, प्रत्येक परिवार को गैंस ईंधन, राज्य के समस्त नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा, एक लाख परिवारों को आवासीय सुविधा, सेवा क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों को रोजगार, 250 से अधिक आबादी के गाँवों में सड़क संयोजिता, एवं शत प्रतिशत साक्षरता आदि इसमें सम्मिलित हैं। राज्य सरकार राज्य में सेवा क्षेत्र में विस्तार हेतु नये–नये आयामों में कार्य कर रही है जिससे कि सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं सेवा क्षेत्र के जी0डी0पी0 में योगदान में बढ़ोत्तरी होगी, इस हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही सेवा क्षेत्र के लिए वृह्द नीति प्रख्यापित करेगी।

परम् आदरणीय**श्री केशव बलिराम हेडगेवार** के विचार कि ध्येय पर अविचल दृष्टि रख कर मार्ग में मखमली बिछोने हों या काँटे बिखरे हों, उनकी चिंता न करते हुए निरंतर आगे बढ़ने के दृढ़ निश्चय वाले कृतिशील तरूण खड़े करने के अनुसरण में**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट कम्पोनेंट में देश में प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, विद्यालयों में एन0सी0आर0टी0 पुस्तकें लागू करने का निर्णय, उन्नति कार्यक्रम, ई–लाईब्रेरी, बाल लिंगानुपात में सुधार हेतु विशेष अभियान, सभी जनपदों में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना लागू करना**,आदि कार्य किये जा रहे हैं। **पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी का मानना था** कि किसान अपनी बचत के बदले जितनी मात्रा में अधिक औद्योगिक वस्तुएं खरीद सकेगा उतना ही अधिक लोगों को कृषितर पेशों में कार्य मिल सकेगा। **अन्नदातासुखी भवः हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।** हमारी सरकार ने अपने गठन के समय से ही किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य की दिशा में कई अभिनव प्रयोग किये हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से भी किसानों, महिलाओं की आय में वृद्धि की जा रही है। मुझे

सदन को यह अवगत कराते हुये अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि मा0 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम के प्रसाद को महिलाओं की आय का साधन बनाये जाने का प्रयोग अत्यन्त सफल रहा है। तीन महिला स्वयं सहायता समूहों ने प्रसाद विक्रय कर समुचित लाभ प्राप्त किया। इस प्रयोग की सफलता के दृष्टिगत सरकार ने राज्य के अन्य मन्दिरों में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार चमोली जिले के सीमान्त क्षेत्र **घेस** में स्थानीय निवासियों द्वारा अपने बिखरे खेतों में मटर की खेती कर मुनाफा अर्जित किया। चमोली में इसकी सफलता के बाद रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी **घेस मॉडल**अपनाया जा रहा है।

महोदय अब मैं, कुछ अन्य बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

- विधान सभा सचिवालय में ई–विधान सभा की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- गैरसैंण (भराडीसैंण) में अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 हेतु गोदाम निर्माण के लिए ₹10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं को वर्दी उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹03 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- संस्कृत के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- राजकीय संस्कृत आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- आशा कार्यकत्रियों/ए0एन0एम0 हेतु दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- उत्तराखण्ड आयुष शोध संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- पेयजल विभाग अन्तर्गत के0एफ0डब्ल्यू0 परियोजना हेतु ₹40 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- मेट्रो रेल निर्माण अन्तर्गत कुल ₹86 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
- राज्य के सरकारी/सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों हेतु सुगम्य बनाये जाने के लिए सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान (आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट 2016) अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित है।
- कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल आदि की व्यवस्था हेतु "**राष्ट्रीय क्रेच योजना**" अन्तर्गत ₹03 करोड़ 70 लाख धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिए "**राष्ट्रीय पोषण मिशन**" अन्तर्गत ₹10 करोड़ 25 लाख 42 हजार धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- एन0डी0ए0,आई0आई0ए0, ओ0टी0ए0 हेतु पूर्व प्रशिक्षण के लिए सैनिक कल्याण के अन्तर्गत नई योजना प्रारम्भ की गई है।
- प्रत्येक जनपद पर राज्य सरकार द्वारा बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु बन्धुआ श्रमिक पुनर्वास निधि की स्थापना की गई है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना में ₹ ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख पन्द्रह हजार धनराशि की व्यवस्था की गई है।

- प्रदेश के किसानों को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु **"दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना"** अन्तर्गत ₹30 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- सिविल/सोयम एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- सिंचाई विभाग अन्तर्गत सौंग बांध परियोजना हेतु ₹40 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण हेतु ₹05 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- उत्तराखण्ड राज्य की नदियों एवं झीलों के पुनर्जीवीकरण कार्यों के सम्पादन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- सेवा क्षेत्र में उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु **नई योजना** प्रारम्भ की जा रही है।
- उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला, Destination Uttarakhand के आयोजन हेतु ₹25 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- हथकरघा की सम्भाव्यता में वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु राजकीय डिजाइन केन्द्र काशीपुर के सुधारीकरण एवं एपारेल प्रशिक्षण योजनान्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन रोकने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु **"ग्रोथ सेंटर"** की स्थापना में 15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- एम0एस0एम0ई0 अन्तर्गत वाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु कुल ₹30 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (उडान) हेतु ₹10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- ऋषिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिस्ट कैम्प का निर्माण हेतु ₹07 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 13 जनपदों में दीर्घ अवधि प्लानिंग के अन्तर्गत थीम आधारित एक–एक नवीन पर्यटन गन्तव्य स्थापित किये जाने हेतुधनराशि प्रस्तावित है।
- स्वामी विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन एवं वैलनेस सिटी की ऋषिकेश में स्थापना की जायेगी।
- पर्यटन विभाग कीयोजना **"होम स्टे"** हेतु ₹15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- औद्यानिक विभाग की बाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु ₹20 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- राजकीय/भेषज संघों की नर्सरियों के विकास व संवर्धन की योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- श्रीनगर गढ़वाल में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- राजकीय आश्रम विद्यालय विन्सौण, जनपद देहरादून हेतु ₹02 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है।

1–कृषि :

1.1 भारतीय संस्कृति की अवधारणा **'अन्नं वै प्राणः'** अर्थात अन्न ही जीवन है के अनुगमन में प्रदेश के किसानों की उन्नति एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेत प्रदेश सरकार द्वारा नए–नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस आय–व्ययक में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** के अन्तर्गत **₹** 63.55 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है वहीं **"पर ड्रॉप मोर क्रॉप"के अन्तर्गत ₹20 करोड़, परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ₹83 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2022 तक कृषकों की आय**

दोगुना करने के संकल्प के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट करता है। इस संदर्भ में पंतनगर विश्वविद्यालय के मार्गनिर्देशन में रणनीति तैयार कर ली गयी है। कृषकों की आय दोगुना करने के लिये कृषि से जुड़े ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिससे कृषकों को तत्काल एवं दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए कृषि के साथ–साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास जड़ी–बूटी/सगंध पौध की खेती, गन्ना, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा। जल संरक्षण, माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा दिया जायेगा तथा परती भूमि, कृषि बंजर भूमि, ग्राम पंचायतों की भूमि को भी कृषिकरण के प्रयोग में लाने का प्रयास किया जायेगा।

ORGANIC STATE

1.2 मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा केदारनाथ यात्रा के दौरान उत्तराखण्ड प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने की घोषणा को मूर्त रूप देने की दिशा में वर्तमान तक प्रदेश के 10 विकासखण्डों को पूर्ण जैविक घोषित किया जा चुका है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 585 क्लस्टर संचालित हैं, जिसमें 28 हजार है0 में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आच्छादित है। भारत सरकार द्वारा 03 वर्षों के लिये 10 हजार अतिरिक्त जैविक क्लस्टर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रत्येक क्लस्टर का क्षेत्रफल 20 है0 होगा, इस प्रकार लगभग 02 लाख है0 क्षेत्र जैविक कृषि के अन्तर्गत आयेगा। **राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जैविक अधिनियम लागू करने पर कार्यवाही की जा रही है,** ताकि प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाये। **पर्वतीय क्षेत्रों के परम्परागत फसलों जैसे–मण्डुवा, सावां, गहथ, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसे सम्मिलित किया गया है।** वर्ष 2017–18 में 565 है0 में बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2018–19 में लगभग 700 है0 क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जायेगा। **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत खरीफ 2017 में लगभग 1,42,093

कृषकों ने 59,839 है0 के अन्तर्गत **₹** 405.74 करोड़ का बीमा किया। प्रदेश में कृषि के विकास हेतु **एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना संचालित की जा रही है।**कलस्टर आधारित इस योजना में एक कलस्टर में कम से कम 100 कृषकों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक विकासखण्ड से एक ग्राम का चयन किया जायेगा। यह योजना ग्रामीणों द्वारा स्वयं संचालित की जायेगी। चयनित ग्राम को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जायेगा। चयनित ग्राम में कृषि, उद्यान, सब्जी उत्पादन, जड़ी–बूटी, पशुपालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी विकास, रेशम विकास, कृषि यंत्रीकरण, जल संरक्षण, स्प्रिंकलर इरीगेशन, भूमि संरक्षण, फल संरक्षण, प्रोसेसिंग कलेक्शन सेंटर आदि कार्य सम्पादित होंगे। 2017–18 से 2018–19 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का द्वितीय चक्र राज्य में कुल 9.12 लाख जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बाँटे जाने का लक्ष्य है। **कृषि यंत्रीकरण के लिए 72 फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना की जा चुकी है एवं 300 अतिरिक्त फार्म मशीनरी स्थापित किये जायेंगे।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि विभाग हेतु **₹** 966.68 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

2–औद्यानिक :

2.1 विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **विश्व बैंक सहायतित एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 07 वर्षीय ₹ 700.00 करोड़ के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है,** जिन्हें 02 चरणों में पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु मैं भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। **नाबार्ड पोषित योजना अन्तर्गत प्रदेश में चाय के विकास के लिए भी परियोजना स्वीकृत करायी गयी है।** औद्यानिकी के अन्तर्गत सृजित अवस्थापना सुविधाओं की

जीओ–टैगिंग करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। औद्यानिकी उपजों के तुड़ाई उपरान्त होने वाली क्षति को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **विशेष प्रयास कर भारत सरकार से 04 एकीकृत शीत श्रृंखला के प्रस्ताव (निजी क्षेत्र में) स्वीकृत कराये गये हैं। इन शीत श्रृंखलाओं की स्थापना से लगभग 17000 मै0टन की भण्डारण क्षमता में अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी एवं लगभग 500 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।**

2.2 औद्यानिकी के समग्र विकास यथा नर्सरी स्थापना, फल, सब्जी, मसाला, पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, संरक्षित खेती के अन्तर्गत पॉलीहाउस स्थापना, जीर्णोद्धार, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, मशरूम उत्पादन, मौनपालन विकास, औद्योगिक यन्त्रीकरण, उत्तर फसल प्रबन्धन, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण आदि घटकों का क्रियान्वयन हेतु **राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजनान्तर्गत ₹ 50.60 करोड़** धनराशि का प्राविधान किया गया है। **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पर ड्रॉप मोर क्रॉपघटक योजनान्तर्गत सिंचाई की समुचित व्यवस्था करते हुए पौधों की** आवश्यकतानुसार पानी व अन्य पोषक तत्वों को उचित मात्रा में सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड में कृषि, औद्योनिक एवं गन्ना उत्पादकों को **ड्रिप इरीगेशन व स्प्रिंगकलर इरीगेशन** निर्धारित राज सहायता पर काश्तकारों को उपलब्ध कराया जाता है। **राज्य में औद्यानिकी के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज सहायता सीधे कृषकों के बैंक खाते में स्थानान्तरित (डी0बी0टी0) की जा रही है।**

2.3 संकल्प से सिद्धि के तहत कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु माइक्रो प्लानिंग गतिमान है। कृषि, औद्यानिकी एवं अन्य रेखीय विभागों के क्रियाकलापों को समेकित रूप से विकसित करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में **आईएमए विलेज** के नाम से **एक गाँव को गोद लेने का निर्णय लिया गया है,** जो एक ग्रोथ सेंटर के रूप में

कार्य करेगा। **यह ग्रोथ सेंटर एक मॉडल के रूप में कार्य करेगाजिसमें अन्य विभाग जैसे कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, पशुपालन, सहकारिता, आवास, पर्यटन, राजस्व आदि अपनी विभागीय गतिविधियां केन्द्रित करेंगे एवं विभागीय योजनाओं को समग्र तौर पर संचालित करेंगे।**प्रथम बार ओलावृष्टि को वर्ष 2017–18 में **सेब फसल हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत लागू किया गया है तथा इस वर्ष और व्यवसायिक फसलों को आच्छादित किया जायेगा।

2.4 राज्य के चयनित उद्यानों को **हार्टि ट्यूरिज्म** के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है, **जिसके प्रथम चरण में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान, चौबटिया को विकसित किया जा रहा है।** साथ ही राजकीय उद्यान, धनौल्टी का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

2.5 राज्य में सगन्ध पौधों की सफलतम खेती को देखते हुए सगन्ध फार्मिंग को प्रदेश में बड़े स्तर पर फैलाने हेतु सहकारिता, ILSP, MGNREGA एवं RKVY आदि से जोड़ा जा रहा है।सगन्ध खेती की महत्ता को देखते हुये भारत सरकार द्वारा भी आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में सगन्ध फसलों की कलस्टर आधारित खेती हेतु बजट में प्राविधान किया गया है। सगन्ध फसलों से किसान की आय में वृद्धि होने के साथ–साथ भूमिक्षरण रूकता है, पानी के स्रोत रिचार्ज होते हैं, ग्रीन कवर बढ़ता है, अधिक कार्बन सोखा जाता है तथा पर्यावरण शुद्धहोता है। इन खूबियों के मध्यनजर ये फसलें हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए अत्यन्त लाभकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में वर्तमान तक 1780 किसानों को 394 हे0 क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों की खेती से जोड़ा गया है। साथ ही महत्वपूर्ण प्रसंस्करण इकाई सुपर **क्रिटिकल फ्ल्यूड एक्स्ट्रैक्शन** यूनिट की स्थापना की गयी, जिससे सगन्ध फसलों के उत्पाद का वैल्यू एडिसन करExtractबनाने का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 800 हे0 क्षेत्रफल में

3000 किसानों को सगन्ध फसलों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में ग्राम पीडा, विकासखण्ड जहरीखाल **जनपद पौड़ी में "सगन्ध फार्मिंग द्वारा खाली पड़े खेतों का पुनरूद्धार" नामक मॉडल एरोमा कलस्टर लांच किया गया है, जिसमें 17 हे0 में लेमनग्रास एवं 22 हे0 में तेजपत्ता का बंजर भूमि में सफल कृषिकरण कर कृषकों के खेत में ही प्रसंस्करण किया जा रहा है। जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में 3.16 लाख हे0 बंजर खेतों को आबाद करने हेतु एक मार्गदर्शी कदम साबित होगा।**

EXAMPLE

2.6 मा0 मंत्री, उद्यान के निर्देशों के क्रम में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2017 को **"अटल जड़ी–बूटी मिशन"** योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खण्ड के अति दुर्गम क्षेत्रों में 09 संकुल स्थापित किये जा चुके हैं। **उत्तराखण्ड राज्य में पैदा होने वाले तेजपत्ता के औषधीय गुणों के कारण इसे भौगोलिक उपदर्शन (Geographical indication) में पंजीकरण किया गया है।** यह राज्य का पहला उत्पाद है जिसे भौगोलिक उपदर्शन के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद बागेश्वर के कपकोट एवं जनपद टिहरी के मुखेम में दो उपकेन्द्रों की स्थापना की गयी है जिसमें औषधीय पादपों की पौधशाला स्थापना के साथ–साथ सम्बन्धित गतिविधियों को भी सम्पादित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में औद्यानिक विभाग के अन्तर्गत बाह्य सहायतित योजनाओं में ₹ 20 करोड़ की धनराशि सहित कुल ₹ 311.23 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

3–पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

3.1 उत्तराखण्ड राज्य की एकमात्र पंजीकृत गौ नस्ल "बद्री नस्ल" के संरक्षण एवं संवर्द्धन की योजना चलाई जा रही है। **बद्री**

गाय के संरक्षण तथा दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु फील्ड परफॉरमेंस रिकार्डिंग प्रारम्भ हो चुकी है।एफ0एम0डी0 मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने हेतु खुरपका–मुँहपका रोग पर नियंत्रण हेतु वृहद टीकाकरण अभियान संचालित कराया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु विभाग निरन्तर प्रयासरत है। पशुपालक को उसके **बहुमूल्य पशुधन की क्षतिपूर्ति हेतु ''पशुधन बीमा योजना'' चलाई जा रही है,** जिसके अन्तर्गत एक पशुपालक के अधिकतम 05 बड़े पशुओं अथवा 50 छोटे पशुओं को बीमा राशि में अनुदान प्रदान कर बीमित किया जा रहा है तथा इस वर्ष वर्तमान तक 12654 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

3.2 डेरी विकास विभाग के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर गठित 4060 दुग्ध सहकारी समितियों के 51750 दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा 180271 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया जा रहा है जिसके सापेक्ष दुग्ध उत्पादकों को लगभग ₹ 46.87 लाख का दुग्ध मूल्य भुगतान प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। **''गंगा गाय महिला डेरी योजना''** के अन्तर्गत वर्तमान तक दुग्ध सहकारी समितियों की 725 महिला सदस्यों को दुधारू गायक्रय किये जाने हेतु**₹** 27 हजार प्रति गाय की दर से राजसहायता तथा ₹ 20 हजार बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है तथा वर्ष अन्त तक कुल 1043 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रदेश में गठित 681 दुग्ध सहकारी समितियों के ऑटोमेशन हेतु डी0पी0एम0सी0यू0 स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में गठित दुग्ध संघों को उनके दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के सुरक्षित परिवहन हेतु 09 इन्सुलेटेड मिल्क मार्केटिंग वैन तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों को विक्रेता के स्तर पर सुरक्षित रखने हेतु 170 डीप फ्रिजर की स्थापना करायी गयी है,साथ ही दुग्ध सहकारी समितियों के स्तर पर उपार्जित दूध को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1204 इन्सुलेटेड रेफ्रिजरेटेड मिल्क कैन का आंवटन किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत बजट के सापेक्ष गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत 2000 महिला दुग्ध उत्पादकों के लाभान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार

दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 50 हजार दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जायेगा।

3.3 भारत सरकार की ब्लू रिवोल्यूशनः मत्स्यकीय का समन्वित विकास एवं प्रबन्ध योजना के अधीन एवं उत्तराखण्ड सरकार की संकल्पना के आधार पर **वर्ष 2022 तक मत्स्य उत्पादन एवं तद्नुसार मत्स्य पालकों की आय को दोगुना किये जाने के उद्देश्यों से विभागान्तर्गत योजनाएंसंचालित करते हुए राज्य में** मत्स्यकीय **विकास कार्य किये जा रहे हैं।** राज्य में ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्यकीय का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम के संचालन से राज्य में प्रतिवर्ष 105.00 लाख फिंगरलिंग की उपलब्धता, 96 मीट्रिक टन ट्राउट उत्पादन, 144 मीट्रिक टन पंगेशियस/कार्प मछली उत्पादन, ट्राउट ब्रूडरोंकी उपलब्धता हेतु 01 ट्राउट ब्रूड बैंक, प्रतिवर्ष 10000 टन आहार निर्माण क्षमता का एक फीड प्लांट की पूर्ति सुनिश्चित करते हुये मत्स्य पालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। **मिशन मोड में फिंगरलिंग उत्पादन अन्तर्गत फिंगरलिंग की सुनिश्चिता हेतु निजी क्षेत्र में 14 हेक्टेयर रियरिंग यूनिट एवं 01, दस मिलियन फ्राय क्षमता उत्पादन की कार्प हैचरी की स्थापना के कार्य गतिमान हैं।** राज्य में व्यावसायिक रूप से ट्राउट फार्मिंग को प्रोत्साहित किये जाने के लिए सहकारिता के माध्यम से कलस्टर आधारित परियोजना हेतु उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से जनपद चमोली में 30 ट्राउट रेसवेज के निर्माण कराये जा रहे हैं। **प्रदेश के मत्स्य पालकों को नवीन प्रजातियों के उन्नत किस्म के मत्स्य बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में 23.50 एकड़ भूमि पर ब्रूड बैंक की स्थापना के कार्य गतिमान हैं। ऊधमसिंह नगर की दो मत्स्य हेचरी के सुदृढ़ीकरण हेतु नाबार्ड पोषितयोजना स्वीकृत की गई है।** नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत विश्व विख्यात एवं विलुप्तप्राय ट्राउट एवं महाशीर मत्स्यकीय के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मत्स्यकीय अनुसंधान

संस्थान के साथ अनुबंध किया गया है। 2018–19 में सोलर पॉवर सपोर्ट सिस्टम की स्थापना कर मत्स्य पालन पर विद्युत पर हो रहे व्यय को न्यून कर मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि दर्ज करायी जायेगी। मत्स्य प्रसंस्करण को विस्तारित किये जाने हेतु मोबाइल फिश आउटलेट की स्थापना की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालनविभाग हेतु ₹ 303.43 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

4–सहकारिता:

सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के सिद्धान्त के अनुरूप राज्य के विभिन्न आँचलों में निर्बल वर्ग की आय को दोगुना करने के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में ₹ 76952.00 लाख अल्पकालीनऋण एवं ₹ 2200.00लाखमध्यकालीन ऋण वितरण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के रूप में परिवर्तित किया गया जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा **01 अक्टूबर, 2017 से "दीनदयाल किसान कल्याण योजना"भी प्रारम्भ की गयी है, जिसके द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को 2 प्रतिशत की दर से कृषि ऋण दिया जा रहा है।** उक्त योजना के अन्तर्गत 2 प्रतिशत की दर से माह जनवरी, 2018 तक 67000 किसानों को ₹ 260.00 करोड़ अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण वितरणकिया गया। उक्त ऋणों से किसानों का बोझ कम होगा वहीं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सहकारिता विभाग द्वारा जन सामान्य को **सहकारिता से जोड़ने हेतु टोल फ्री नम्बर 9759500500 पर मिस्ड कॉल प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गयी है।**

5–ग्राम्य विकास :

5.1 गाँव राष्ट्र के विकास की एक महत्वपूर्ण धुरी है।ग्राम विकास विभाग द्वारा गाँव के विकास, ग्राम स्तर पर रोजगार का सृजन, आधारभूत संरचना का विकास एवं रिवर्स माइग्रेशन आदि हेतु कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में पलायन की समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा **पलायन आयोग** का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन के कार्यों को क्रियान्वित किये जाने हेतु **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुँच बचाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। योजना के माध्यम से राज्य में आगामी 8–10 वर्षों की अवधि के दौरान समस्त गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण में क्रमशः 10, 05 एवं 15 विकासखण्डों को **सघन विकास खण्ड रणनीति** के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में **₹ 106 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

5.2 ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने हेतु **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह जनवरी तक कुल 13,135 व्यक्तिगत शौचालय, 177 आंगनबाड़ी केन्द्र, 2,367 फार्म पौंड एवं 6,454 वर्मी/नेडेप पिट का निर्माण किया गया है। कुल 72,449 कार्यों को पूर्ण किया गया है तथा 91,062 कार्य प्रगति पर है एवं पूर्ण किये गये कुल 2,78,378 कार्यों को जियो टैग किया गया है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक कुल 10,61,242 परिवारों को जॉब कार्ड वितरित किये गये तथा 3,67,541 श्रमिक परिवारों को श्रमरोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना में 143 बसावटों को संयोजित किया गया है। **विभाग द्वारा 2020 तक 250 से अधिक आबादी के गाँवों को पी0एम0जी0एस0वाई0 आदि से सड़क संयोजिता का लक्ष्य निर्धारित है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों में गति लाने हेतु सेंटेज चार्ज/एस0क्यू0सी0सी0/पी0एम0सी0 में ₹ 30 करोड़ की व्यवस्था की गई है।**ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों की भांति विकासोन्मुख हैं, के लिए गाँवों और कस्बों का चयन कलस्टर के रूप में करते हुये इन क्षेत्रों का विकास**"श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना"** के अन्तर्गत करने हेतु कुल **₹ 20 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।**

5.3 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित **ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े** का आयोजन ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2017 से 15. 10.2017 तक राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में किया गया। पखवाड़े के दौरान स्वच्छता श्रमदान दिवस, प्रभात फेरी, पंचायत समितियों की बैठकें, स्वच्छ गाँव के परिवेश का निर्माण करना, कौशल रथ, समृद्धि रथ, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन समस्त ग्राम पंचायतों में किया गया। **मिशन अन्त्योदय** के अन्तर्गत राज्य में चयनित 1374 ग्राम पंचायतों में बेसलाईन सर्वे का कार्य किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में निवास कर रहे ग्रामीणों/वंचितों का चयनित मानकों के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक अंकेक्षण करना था एवं सर्वे से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रथम चरण के लिए कार्ययोजना तैयार कर 25 विभागों की योजनाओं के साथ–साथ समस्त रेखीय विभागों की योजनाओं को युगपतिकरण के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित कर 1000 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा एवं **2019 तक चयनित 1374 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त घोषित किया जाएगा।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्राम्य विकासविभाग हेतु ₹ 2293 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

6–जलागम प्रबन्धन एवंसिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाईः

6.1 जलागम विभाग के अन्तर्गत **''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम''** के अन्तर्गत 1511 ग्राम पंचायतों के 2992 राजस्व ग्रामों के लगभग 206 हजार परिवार एवं विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना–2 (ग्राम्या–2) के अन्तर्गत 1055 राजस्व ग्रामों के लगभग 66000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों से **प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है, वही दूसरी ओर उत्पादकता में वृद्धि एवं आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते हैं।**

6.2 नाबार्ड के अन्तर्गत **सूर्यधार, कोलीढ़ेक, थरकोट**की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनसे जहां एक ओर जल संरक्षण एवं भूमिगत जल संवर्द्धन होगा वहीं दूसरी ओर पेयजल समस्याओं का भी निराकरण हो पायेगा। कोसी नदी में बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण होने से अल्मोड़ा शहर की पेयजल सम्बन्धी समस्याओं का काफी हद तक निराकरण हो चुका है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गैरसैंण आदि में झील के निर्माण हेतु नाबार्ड से सहयोग प्राप्त किया जायेगा। **नैनीताल झील के पुनर्जीविकरण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान आय–व्ययक में इस हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। प्रदेश की अन्य नदियों/झीलों के पुनर्जीविकरण हेतु भी धनराशि प्रस्तावित है।फ्लड जोनिंग एक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में उत्तरकाशी व हरिद्वार में कार्य किया जा रहा है। इस हेतु ₹ 02 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।** देहरादून में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु **सौंग नदी पर बॉधबनाया जायेगा। इस हेतु डी0पी0आर0 निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान बजट में इस संबंध में ₹ 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। केन्द्र सरकार से लगभग ₹ 1000 करोड़ की बाह्य सहायतित परियोजना की स्वीकृति शीघ्र ही सम्भावित है।**

6.3 भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रेशनाईलेजशन ऑफ माइनर इरीगेशन के आँकडों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल लगभग 12.50 लाख हेक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा राज्य गठन से माह दिसम्बर 2017 तक 5.27 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गयी है। राज्य की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा राज्य गठन से अब तक माह दिसम्बर 2017 तक30645 किमी0 सिंचाई गूल, 38532 सिंचाई हौज, 1448 हाईड्रम,55686 बोरिंग पम्पसेट, 840 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 गहरे/मध्यम नलकूप, 338 आर्टीजन कूप तथा 41 छोटे वियर का निर्माण किया गया है जिनसे राज्य की सिंचन क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जलागम प्रबन्धनएवं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाईविभाग हेतु ₹ 520.29 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

7–पेयजल :

7.1 "पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नम् सुभाषितम्" मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में पेयजल की आवश्यकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विभाग द्वारा अपूर्ण योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करते हुए आम जनता को उसका लाभ सुलभ कराने की नीति अपनाकर राज्य के वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता में वृद्धि का प्रयास करने के साथ–साथ विश्व बैंक से बाह्य सहायता एवं नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए हैं। 522 बस्तियों का पेयजल सुविधा से सेवित करने के लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक 401 बस्तियों को संतृप्त कर लिया गया है एवं शेष 121 बस्तियों को संतृप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। 1334 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 1273 योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य माह जनवरी, 2018 तक करा लिया गया है और शेष योजनाओं पर कार्यवाही

गतिमान है। नगरीय पेयजल के अन्तर्गत 35 योजनाओं के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक 25 नगरीय पेयजल योजनाएं एवं 4 जलोत्सारण योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और शेष योजनाओं पर कार्यवाही गतिमान है। 35Census Town में विश्व बैंक पोषित योजनाओं के संचालन की कार्यवाही करने के लक्ष्य के सापेक्ष विश्व बैंक, **भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य लगभग 975 करोड़ की योजना का अनुबन्ध दिनांक 22 जनवरी, 2018 को निष्पादित हो चुका है एवं** डी0पी0आर0 निर्माण का कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2018–19 में इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो जायेगा।

7.2 वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता के विषय को शीर्ष महत्व प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आधारभूत सर्वेक्षण (वर्ष 2012) के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय विहीन चिन्हित 5.09 लाख परिवारों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 5.89 लाख परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण करते हुए **उत्तराखण्ड लक्षित तिथि 02.10.2019 को काफी पूर्व दिनांक 31.05.2017 को ही ''खुले में शौच की प्रथा से मुक्त'' घोषित होने वाला देश का चौथा राज्य हो गया है।** इसका राज्य को यह लाभ हुआ कि केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नई योजनाओं की स्वीकृति पर तीन वर्षों से चला आ रहा प्रतिबन्ध समाप्त हो चुका है और ओ0डी0एफ0 घोषित ग्रामों के सम्बन्ध में नई पेयजल योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकेंगी।

7.3 राज्य के परम्परागत जल स्रोतों, नौलों तथा धारों के संरक्षण हेतु स्वजल परियोजना के अन्तर्गत जल स्रोत मापन एवं जल स्रोतों की मैपिंग हेतु वैब पोर्टल विकसित किया गया है,जिसके अन्तर्गत जनपदीय इकाईयों के द्वारा जल स्रोतों से सम्बन्धित आँकड़े एवं Geo Taggedफोटोग्राफ अपलोड करने की

व्यवस्था की गयी है। **वर्ष 2022 तक 5000 समस्याग्रस्त प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित/संवर्द्धित करने का लक्ष्य है।**

7.4 राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों को सीवरेज से आच्छादित किये जाने के प्रयासों के अन्तर्गत हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन, मसूरी एवं देहरादून में जलोत्सारण सुविधा के पूर्ण आच्छादन हेतु लगभग **₹ 840.00 करोड़ का प्रस्ताव** भारत सरकार को प्रेषित किया गया जिस पर **जर्मनी की वित्तीय संस्था के0एफ0डब्ल्यू0**से हरिद्वार,ऋषिकेश, तपोवन के लिए वित्त पोषण हेतु प्रारम्भिक सहमति हो चुकी है।**पेयजल विभाग के अन्तर्गत के0एफ0डब्ल्यू0 परियोजना हेतु ₹ 40करोड़ की व्यवस्था की गई है।**

7.5 ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु इस वर्ष **नाबार्ड से ₹ 160 करोड़ का आवंटन किया गया है।वित्तीय वर्ष 2018–19 में वर्षा जल संग्रहण एवं ग्रामीण पेयजल योजना के लिए नयी बाह्य सहायतित योजना का प्रयास किया जायेगा।** इस प्रकार बाह्य सहायतित योजनाओं एवं नाबार्ड के माध्यम से राज्य के पेयजल क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा एवं विकास होगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में पेयजलविभाग हेतु **₹** 862.84 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

8–वन एवं पर्यावरण :

8.1 "What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another" (राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी) के उक्त विचारों के अनुरूपवन विभाग, उत्तराखण्ड के वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण संवर्द्धन, जंगली जानवरों से जनता की जानमाल की सुरक्षा, सिविल/सोयम एवं पंचायत वनों की अग्नि सुरक्षा, औषधि पौधों का संरक्षण आदि की दिशा में कार्यरत हैं। वर्ष 2017–18 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित **लक्ष्य 18785 हे0 में 164.10 लाख पौध रोपित करने का**

लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 16978.62 हे0 क्षेत्र में 160.30 लाख पौधे रोपित किये जा चुके हैं।

8.2"कैम्पा योजना" में जल संरक्षण कार्य के क्षेत्र में 1171 जलकुण्ड, 3060 पिरूल चैकडेम तथा 1766 हे0 वन क्षेत्रों में 370860 कन्टूर नालियों के निर्माण, "**नमामि गंगे परियोजना**" के अन्तर्गत 256 हे0 क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, "**जायका परियोजना**" के अन्तर्गत चयनित वन पंचायतों में लगभग 3479 चाल–खाल निर्माण, 1211 चैकडेम निर्माण, 16 जल संग्रहण तालाबों का विकास तथा उपचार हेतु लिये गये समस्त क्षेत्रों में कन्टूर फरो बनाकर जल संरक्षण कार्य, राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत 129 विभिन्न जल संरक्षण स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है।

8.3 उत्तराखण्ड राज्य का **State Action Plan on Climate Change (SAPCC)**के कार्यान्वयन को ठोस रूप देने हेतु राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र, उत्तराखण्ड का गठन कर दिया गया है। विभाग के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन कार्यालय के अन्तर्गत स्थापित राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा Climate Development Knowledge Network (CDKN)एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं की सहायता से राज्य के 13 जनपदों के 95 ब्लॉकों के लिये Climate Vulnerability and Risks Assessment (CVRA)तैयार किया गया है।

8.4राज्य में पारिस्थितिकीय पर्यटन को राजस्व अर्जन के साथ–साथ स्थानीय निवासियों की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दृष्टि से नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क में भ्यूंडार वैली, छोटी हल्द्वानी में होमस्टे, मसूरी के निकट धनौल्टी ईको पार्क तथा ऋषिकेश के निकट नीर झरना आदि में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ईको ट्यूरिज्म का सफलता पूर्वक संचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वन क्षेत्रों के 12

ईको ट्यूरिज्म डेस्टिनेशन में ईको ट्यूरिज्म गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। बर्ड ट्यूरिज्म को भी एक प्रमुख ईको ट्यूरिज्म गतिविधि के रूप में सम्मिलित किया गया है।

8.5 उक्त के अतिरिक्त राज्य में नेचर ट्यूरिज्म व साहसिक ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड इको ट्यूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन" का गठन हो चुका है। 'जाइका' द्वारा वित्त पोषित "उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना" के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त ईको रेस्टोरेशन के अन्तर्गत कुल 2463 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण, 1500 ग्राफ्टेड पौध का भारत सरकार के आई0सी0ए0आर0 संस्थान सी0आई0टी0एच0 श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर) से प्राप्त कर काश्तकारों को वितरण, चयनित वन पंचायतों में जल संरक्षण कार्य किया गया।

8.6 नमामि गंगे योजना को उत्तराखण्ड के 23,372 वर्ग कि0मी0 में क्रियान्वित किया जा रहा है जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.7 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत गंगा तथा उसकी 11 सहायक नदियाँ भागीरथी, असीगंगा, बालगंगा, भिलंगना, नयार, धौलीगंगा, अलकनन्दा, मन्दाकनी, नन्दाकनी, पिन्डर, तथा सौंग नदियों के जलागम क्षेत्रों में कार्य किया जाना है। वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त उक्त परियोजना अन्तर्गत–1406 हे0 वनीकरण कार्य, कृषकों को76344 पौध वितरण, 256हे0मृदा एवं जल कार्य संरक्षण किये गये हैं।

8.7 मा0 प्रधानमंत्री जी के आठ जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में एक **महत्वपूर्ण योजना "ग्रीन इण्डिया मिशन" अन्तर्गत** राज्य हेतु 10 वर्षीय Perspective Planतैयार किया गया है। प्रथम वर्ष की कार्य–योजना के अन्तर्गत प्रदेश में रामगंगा, काली एव भागीरथी जलागमों के चयनित सूक्ष्म–जलागमों के कुल 7483 हे0 क्षेत्र में वनीकरण सम्बन्धी कार्य एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहन गतिविधि हेतु लगभग 6534 लाभार्थी घरों को चयनित किया जाना है।

8.8 वनाग्नि से निपटने हेतु नयी मांग के माध्यम से सिविल सोयम/ पंचायत वनों हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में वन एवं पर्यावरणविभाग हेतु ₹ 808.55 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

9–समाज कल्याण,सैनिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

"Power has only one duty to secure the social welfare of the people (Benjamin Disraeli)"

9.1 विभाग का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, वृद्धजनों, किसानों, निराश्रित विधवाओं एवं निःशक्तजनों को पेंशन, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। इस संबंध में विभाग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। **वित्तीय वर्ष 2018–19 में 475000 वृद्धजनों को पेंशन, 150000 विधवाओं एवं 75000 दिव्यांगों को पेंशन दिये जाने का अनुमान है। वृद्धवस्था पेंशन योजनान्तर्गत लगभग ₹ 86.24 करोड़ का प्राविधान किया गया है वहीं विधवा पेंशन हेतु ₹ 13.33 करोड़, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन हेतु ₹ 13.10 करोड़ एवं दिव्यांग पेंशनधारियों हेतु ₹ 1.56 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत वृद्धावस्था किसान पेंशन हेतु ₹ 130 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

9.2 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की देखभाल करना केन्द्र और राज्य सरकार की साझा जिम्मेदारी है। उत्तराखण्ड का यह सौभाग्य है कि पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास अपार प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति उपलब्ध है जिसका उपयोग

अपने प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। राज्य के विकास के लिये योजनाओं में अगर इन पूर्व सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये तो विकास को और भी गति मिलेगी। सैनिक कल्याण विभाग में मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, पूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रितों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण, अलंकृत सैनिकों को वीरता, पुरस्कार/अनुदान द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन/अनुदान, आवासीय सहायता, ब्लॉक प्रतिनिधियों को मानदेय, विभिन्न युद्ध सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिक व अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एक मुश्त अनुदान (उत्तराखण्ड शहीद कोष से), सैनिक पुनर्वास संस्था से पूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्तियाँ/शिक्षा अनुदान, शौर्य दिवस एवं विजय दिवस समारोह मनाया जाना, गणतंत्र दिवस परेड आदि कार्य किये जा रहे हैं।

9.3 प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार "महिलाओं की उन्नति अथवा अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है"के दृष्टिगत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार कि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।वर्ष 2018–19 में 14947 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 5120 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्री–स्कूल किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध करायी जायेगी एवं कार्यकर्ताओं को ड्रेस उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त किशोरी शक्ति योजना, 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पोषहार, महिलाओं/किशोरियों को लाभान्वित करने हेतु **"प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना"**के अन्तर्गत 75000 परिवारों की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को ₹ 5000/–प्रति महिला की दर से लाभान्वित किया जायेगा।**महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित "नन्दा गौरा योजना"में कन्या के जन्म पर, स्कूल जाने पर, नौकरी करने पर एवं विवाह करने पर राज्य**

सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से सहायता प्रदान की जाती है। यह उत्तराखण्ड सरकार का मातृ शक्ति को नमन भी है, साथ ही यह उत्तराखण्ड की नारी शक्ति को उनकी क्षमताओं के वास्तविक रूप से परिचित कराने का एक सार्थक प्रयास भी है। इस योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 90 करोड़ का प्राविधान किया गया है, इसी प्रकार ''समन्वित बाल विकास योजना''के अन्तर्गत लगभग ₹ 651.48 का प्राविधान किया गया है।

9.4 विभाग लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में भी कार्यरत है। इस क्रम में ''**बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**''के माध्यम से लैंगिक भेदभाव के आधार पर शिशु जन्म को चयनित करने का समापन कर बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में विभाग प्रयासरत है। योजनान्तर्गत वन स्टॉप सेंटर पर निजी और सार्वजनिक स्थलों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना एवं आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन स्थिति में हिंसाग्रस्त महिलाओं को कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जाती हैं। बाल–लिंगानुपात में सुधार हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डोर–टू–डोर सर्वे में बाल–लिंगानुपात के आँकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुये परम हर्ष हो रहा है कि जनपद पिथौरागढ़ में लिंगानुपात 813 से बढ़कर 914 बालिका प्रति हजार हो गया है। **किशोरियों में स्वच्छता का वातावरण बनाने हेतु रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में सेनेट्ररी नैपकीन बनाने की यूनिट स्थापित की गयी है। जिसके अन्तर्गत किशोरियों को सेनेट्ररी नैपकीन उपलब्ध करायी जा रही है।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में समाज कल्याण,सैनिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु ₹ 1666 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

10–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, होम्योपैथिक आयुष चिकित्सा शिक्षा :

10.1 "सबके लिये स्वास्थ्य" (Health for All) को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत राज्य के जनमानस को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता में है।सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं उपचार की स्थितियों को सुदृढ़ बनाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं के विस्तार हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। **चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए गत एक वर्ष में लगभग 600 अतिरिक्त चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त किया गया। 481 चिकित्सकों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। आशा कार्यकत्रियों/ए0एन0एम0 हेतु दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी एवं कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु सभी ए0एन0एम0 को कम्प्यूटर टैबलेट प्रदान किये जायेंगे।**

10.2 राज्य के 35 प्रमुख अस्पतालों में से 22 अस्पतालों में टैलिरेडियोलॉजी की सुविधा प्रारम्भ हो चुकी है शेष में शीघ्र ही यह सुविधा प्रारम्भ कर दी जायेगी। भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार क्षय रोगियों का उपचार Daily Regimenपद्धति द्वारा आरम्भ कर दिया गया है। जनपद स्तर पर एम0डी0आर0 रोगियों के तुरन्त निदान हेतु 09 CBNAATसाईट आई0आर0एल0 जनपद देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, हरिद्वार, नैनीताल, रूद्रप्रयाग एवं ऊधमसिंह नगर में क्रियान्वित हैं। शेष 04 जनपदों हेतु भारत सरकार से CBNAAT मशीन प्राप्त हो गयी है, जो शीघ्र ही क्रियाशील हो जायेंगी। राज्य के 04 जनपदों (हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर) में Dialysis Centres की स्थापना एवं संचालन किया जाना है। राज्य में पाँच Dialysis Centresका संचालन PPP Mode पर किये जाने हेतु निविदा की प्रक्रिया गतिमान है। **वृद्ध नागरिकों को**

बेहतर IPD सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद–ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, चम्पावत, देहरादून, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में 10 बैड के Geriatric Ward की स्थापना की गयी है। तथा अन्य जनपदों के जिला चिकित्सालयों में Geriatric Ward की स्थापना प्रक्रियाधीन है। जनपद ऊधमसिंहनगर में **''मानसिक स्वास्थ्य सलाह केन्द्र''** की स्थापना की गयी है। जनपद हरिद्वार में मानसिक स्वास्थ्य सलाह केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है। **ई–औषधि एवं ई–रजिस्ट्रेशन की शुरूआत भी राज्य में कर दी गई है। प्रदेश में चार टेलीमेडिसन सेंटर शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिये जायेंगे। राज्य के सभी ब्लड बैंक ऑनलाइन कर दिये गये हैं।** वर्तमान में 108 की तर्ज पर जनपद टिहरी गढ़वाल रोगियों को लाने ले जाने हेतु 01 बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है। इस वित्तीय वर्ष में गाँधी नेत्र चिकित्सालय को प्रारम्भ कर लिया जायेगा।**राज्यकेप्रत्येक जनपद में ट्रॉमा सेंटर/आई0सी0यू0/रक्त बैंक की स्थापना की जायेगी।**वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में सरकार द्वारा प्रदेश के **बेस चिकित्सालयों को शीघ्र संचालित करने हेतु पूँजीगत मदों में ₹ 20 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जो अब तक का सर्वाधिक प्राविधान है।**

10.3 उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में विभिन्न आयुर्वेदिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। पंचकर्म चिकित्सा, क्षार शूत्र, राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों के आयुष विंगों की स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापना आदि सम्मिलित हैं। हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक के माध्यम से उच्च गुणवत्तायुक्त औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहित किये जाने हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हर्रावाला, देहरादून में की गयी है। **वर्तमान आय–व्ययक में अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि प्राविधानित की गई है।** प्रत्येक चिकित्सालय में जहाँ पर पर्याप्त

मात्रा में भूमि उपलब्ध है, वहाँ हर्बल गार्डन की स्थापना, प्रत्येक जनपद में सम्पूर्ण सुविधा युक्त आयुष ग्राम की स्थापना की जायेगी।आयुर्वेदिक विधा के प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक जनपद में आरोग्य मेला एवं कैम्प का आयोजन किया जायेगा।राज्य सरकार समस्त राज्य में योग, आयुर्वेद आदि के विकास हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक नीति प्रख्यापित करेगी।

10.4 उत्तराखण्ड राज्य के गठन वर्ष 2000 में राज्य को कोई भी क्रियाशील राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। वर्ष 2008 में राज्य के प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल की स्थापना कर उसे क्रियाशील किया गया। राज्य का तीसरा मेडिकल कॉलेज, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून का संचालन शैक्षणिक सत्र 2016–17 से प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें 150 एम0बी0बी0एस0 सीटों पर छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं। वर्तमान में ऐसे उत्तीर्ण चिकित्सकों को 05 वर्षों हेतु दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा का बाण्ड भी भरना होता है जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। **अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी शीघ्र ही संचालित कर दिया जायेगा।वित्तीय वर्ष 2018–19 में दून मेडिकल कॉलेज हेतु ₹ 94.19 करोड़ एवं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हेतु ₹ 72.27 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

10.5 वर्तमान में राज्य में 05 बी0एस0सी0नर्सिंग कॉलेज (टिहरी/चमोली/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/अल्मोड़ा) एवं जी0एन0एम0 स्कूल रोशनाबाद–हरिद्वार संचालित हो रहे हैं।

10.6 चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की जनता की सम्पूर्ण चिकित्सकीय सुविधा तथा पैरा चिकित्सकीय नर्सिंग सेवा सुलभ कराये जाने के क्रम में पूर्व में संचालित नर्सिंग संस्थानों के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा 03 नर्सिंग कॉलेज चम्पावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य गतिमान है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, होम्योपैथिक आयुष, चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु ₹ 2286.57 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

11–विद्यालयी शिक्षा :

11.1 **''शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना''**की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक मासिक आंकलन परीक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। इसके आधार पर छात्रों की विषयवार दक्षताओं का आंकलन राज्य स्तर पर किया जा रहा है।**छात्र में छिपी हुयी प्रतिभा निखारने हेतु प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को प्रतिभा दिवस का आयोजन किया जा रहा है।**जिसके अन्तर्गत छात्रों को अकादमिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कराये जाते हैं। आगामी शैक्षिक सत्र से 10 या 10 से कम छात्र संख्या वाले राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निकटस्थ विद्यालय में विलय किया जाएगा।

11.2 **''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है''**की अवधारणा के अनुरूप बच्चों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत बनने वाले एक व्यंजन को लोहे की कढ़ाई में बनाये जाने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिससे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में आयरन प्राप्त हो सके और एनीमिया रोग से बचा जा सके। योजना के प्रारम्भ होने से पहले तथा 6 माह बाद विद्यार्थियों का रक्त परीक्षण कराये जाने हेतु स्वास्थ्य विकास से समन्वय किया गया है। **''अक्षय पात्र योजना''** के अन्तर्गत जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में मध्याह्न भोजन योजना हेतु केन्द्रीयकृत किचन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे जहाँ एक ओर बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर कुपोषण से भी निजात मिलेगी।

11.3 प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। प्रवक्ता संवर्ग में भर्ती हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। विद्यालयों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु 2114 विद्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन स्थापित की गई हैं। 475 मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा के माध्यम से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को समस्त राजकीय विद्यालयों में **Speaking English Day** मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन प्रार्थना से लेकर समस्त वादनों में सामान्य अंग्रेजी में बोल–चाल को प्रोत्साहन दिया जायेगा। समस्त राजकीय विद्यालयों में **बुक बैंक** स्थापितकिए जाने का निर्णय लिया गया है एवं जनसहयोग के माध्यम से बच्चों में पढ़ने की रूचि विकसित किए जाने हेतु प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का गठन किया जा रहा है।

11.4 माध्यमिक विद्यालयों में गॉइडेंस एवं काउन्सलिंग हेतु ''**बाल सखा प्रकोष्ठ**'' का गठन किया गया है। **कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात् व्यावसायिक क्षेत्रों अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त की जानकारी हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 की वेबसाईट पर जिज्ञासा नाम से वैबलिंक तैयार किया गया है।**प्राइवेट एवं पब्लिक स्कूलों द्वारा छात्र/अभिभावकों से लिये जा रहे अनियमित प्रवेश शुल्क/कॉशन मनी व रि–एडमिशन शुल्क को न लिए जाने का निर्णय लिया गया एवं इस हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है। **बच्चों के मासिक परीक्षाफल व शैक्षिक अभिवृद्धि पर चर्चा हेतु हर माह के अन्तिम शनिवार को विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठक होगी। इससे जहाँ एक ओर अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति से परिचित होंगे वहीं शिक्षक भी शिक्षण की गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहेंगे।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विद्यालयी शिक्षाविभाग हेतु **₹** 6741 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

12–उच्च शिक्षा :

उच्च शिक्षा में छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क बीमा योजना का भी शुभारम्भ किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में 22 राजकीय महाविद्यालयों में नैक प्रत्यायन की कार्यवाही गतिमान है एवं सत्र 2017–18 में 03 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा नैक प्रत्यायन कराया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में 14 स्नातकोत्तर प्राचार्यों एवं 44 स्नातक प्राचार्यों के पदों पर डी0पी0सी0 कर प्राचार्यों की विभिन्न महाविद्यालयों में तैनाती की गयी है एवं मानदेय आधार पर 253 शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था हेतु आमंत्रित किया गया। प्रदेश सरकार राज्य के डिग्री कॉलेजों के शीघ्र निर्माण हेतु संकल्पित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उच्च शिक्षाविभाग हेतु ₹ 513.13 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

13–तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण :

13.1 राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड राज्य में कुल 15 राजकीय पॉलिटेक्निक संचालित किये जा रहे थे जो कि वर्तमान में 01 सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकों तथा 51 निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक सहित कुल 122 पॉलिटेक्निक हो गये हैं। **राज्य में कुल जनसंख्या के सापेक्ष वर्तमान में लगभग 01 लाख जनसंख्या पर 01 पॉलिटेक्निक संचालित किया जा रहा है, जबकि अन्य प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर 01 पॉलिटेक्निक संचालित किये जा रहे हैं।** विभिन्न पॉलिटेक्निकों में उद्योग की मांग के अनुसार 29 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। **पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एन0एफ0क्यू0एफ0 के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार की गयी है जो आधुनिक उद्योगो की मांग के अनुरूप एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य है।**

13.2 कौशल विकास से सम्बन्धित भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाएं जैसे सी0डी0टी0पी0, कम्यूनिटी कॉलेज तथा पी0एम0के0वी0आई0 आदि योजनाओं को

सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। पॉलिटेक्निकों में आई0सी0टी0 को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य जैसे प्रवेश परीक्षा तथा विभिन्न परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। **मोबाइल एप की सहायता से विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं में छात्रों को अपनी क्षमता के आंकलन/परीक्षा की तैयारी हेतु ऑनलाइन टेस्टों का आयोजन तथा प्रशिक्षण इत्यादि कार्य संचालित किये जा रहे हैं।**

13.3 वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकीय पॉलिटेक्निक मल्लासालम, क्वांसी, कनालीछीना, काण्डा तथा चौनलिया के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, बीरोंखाल तथा महिला छात्रावास हस्तान्तरित हो चुका है। भारत सरकार के एम0एच0आर0डी0 द्वारा वित्त पोषित सी0डी0टी0पी0 योजना के अन्तर्गत 8000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है।

13.4 उत्तराखण्ड राज्य में छात्र–छात्राओं एवं युवाओं हेतु कौशल विकास अर्जन तथा उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य में अब तक कुल 176 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें से 148 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुचारू रूप से प्रशिक्षार्थियों को 32 विभिन्न इंजीनियरिंग तथा नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। विभाग द्वारा विभिन्न उद्योगों/उद्योग संगठनों की सीएसआर गतिविधियों को प्रशिक्षण हित में उपयोग किया जा रहा है। **इसी क्रम में राज्य मे प्रथम बार नवीन सैक्टरों के अन्तर्गत कोर्स जैसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, सौयल टैस्टिंग (Soil Testing and crop Assistant) प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की गयी है।** प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की कार्य प्रणाली, परिवेश तथा परिस्थितियों/अनुशासन के अनुभव के लिए प्रथम बार विभागीय स्तर से कार्यवाही कर लगभग 800 प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों में

विजिट के लिए भेजा गया है तथा अन्य उद्योगों के साथ इस हेतु एमओयू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13.5 उद्योगों में सीधे रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा राज्य में संचालित निजी उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में On the Job Trainingके अन्तर्गत प्रयोगात्मक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। छात्र/छात्राओं को On the Job Training के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है। राज्य के 43 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की साझेदारी में ''पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप'' के अन्तर्गत संचालित हैं एवं 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान **वी0टी0आई0पी0 (विश्व बैंक) के अन्तर्गत संचालित हैं।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग हेतु ₹ 227.23 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

14–श्रम :

14.1 श्रम विभाग द्वारा दिनांक 01–04–2017 से 31–12–2017 तक की अवधि में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 3246 निरीक्षण किये गये। उल्लंघनकर्ता सेवायोजकों के विरूद्ध 606 उपशमन/अभियोजन दायर किये गये। ग्रेच्युटी, एवार्ड, आदि के 206 दावों का निस्तारण करते हुये 246 श्रमिकों/मृत श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 1.07 करोड़ की धनराशि भुगतान कराई गई।

14.2 भारत सरकार के ईज ऑल डुईंग बिजनेस योजना के अन्तर्गतविभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण का कार्य पूर्णतः ऑनलाइन के माध्यम से शुरू किया गया है। विभाग वेबसाईट को ''**मेक इन इण्डिया**'' के तहत चलाये गये अभियान, उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व मद के अन्तर्गत श्रम विभाग हेतु ₹ 32.25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

15–कौशल विकास एवं सेवायोजनः

15.1 राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु **वर्ष 2017 में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का गठन किया गयाहै। विभाग द्वारा वर्ष 2020 तक एक लाख युवाओं का कौशल विकास किये जाने की योजना है।** प्रदेश के युवाओं की रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु पूर्णतः केन्द्र पोषित भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 25000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु **वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 50 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।**

15.2 राज्य की कौशल विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा ऐसे रोजगारपरक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है,इसकी प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा 26 सेक्टर स्किल काउन्सिल्स के साथ अनुबन्ध किया गया है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 25000 अतिरिक्त युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सीज को सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रदेश की आई0टी0आई0 एवं पॉलिटेक्निक सस्थानों के संसाधनों को भी कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण को प्रासंगिक बनाने हेतु विभाग द्वारा **Skill Gap Study**कराई जा रही है जिससे जनपद स्तर पर कौशल की मांग एवं उपलब्धता का आंकलन कर प्रभावी कार्य योजना तैयार की जा सके। कुशल युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा **''कुशल उत्तराखण्ड''** एप विकसित की गई है जिसमें अधिक युवाओं को पंजीकृत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग हेतु ₹ 354.92 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

16–कला एवं संस्कृतिः

संस्कृति विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण–संवर्द्धन एवं उसका सर्वांगीण विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनेक महत्वपूर्ण कार्य जैसे टिहरी में गंगा पर आधारित संग्रहालय का निर्माण, जिसमें लाईट एण्ड साउण्ड शो भी सम्मिलित होगा, उद्यशंकर नृत्य नाट्य अकादमी, अल्मोड़ा परिसर में संग्रहालय की स्थापना की जायेगी। देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के निकट संस्कृति ग्राम की स्थापना, पिथौरागढ़ में अवस्थित किले में संग्रहालय की स्थापना की जायेगी, जिसमें लाईट एण्ड साउण्ड शो भी सम्मिलित होगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कला एवं संस्कृति विभाग हेतु ₹ 49 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

17–परिवहन :

17.1 परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनवरी, 2018 तक कुल ₹ 598.97 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का 108.90 प्रतिशत है। **सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर "राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्" एवं जनपद स्तर पर "जिला सड़क सुरक्षा समिति" का गठन किया गया है।** वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं को 2016–17 के स्तर से आधा करने का सरकार का लक्ष्य है।

17.2 कैशलैस सेवाओं का शुभारम्भ करते हुये राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में ऑनलाइन डीलर प्वाइन्ट डाटा एण्ट्री एवं कर भुगतान की सुविधा, ऑनलाइन आकर्षक पंजीयन नम्बरों की नीलामी एवं बुकिंग की सुविधा एवं 14 परिवहन कार्यालयों में

ऑनलाइन चालक लाइसेन्स आवेदन, शुल्क भुगतान एवं स्लॉट बुकिंग सुविधा प्रारम्भ की गई है।**परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान हेतु ₹ 33.11 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।**

17.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 में 483 नई बसें परिवहन निगम के बस बेड़े में सम्मिलित हो चुकी है। **माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा कुल आय ₹ 438.81 करोड़ अर्जित की गयी जबकि गत वर्ष इस अवधि में ₹ 383.68 करोड़ आय अर्जित की गयी थी।**

17.4 उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में छात्राओं, वृद्धजनों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं राज्य आन्दोलनकारियों निःशुल्क यात्रा का प्राविधान है जिसकी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है।**उत्तराखण्ड परिवहन की हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर के डिपो की समस्त बसों को अगले दो वर्षों में सी0एन0जी0 से संचालित करने का प्रयास किया जायेगा एवं निजी वाहनों में भी इसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य में विभिन्न बस अड्डों का निजी सहभागिता पर निर्माण किया जायेगा।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में परिवहन विभाग हेतु **₹** 241.13 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

18–खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

18.1 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित प्राथमिक परिवारों एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 61.94 लाख लाभार्थियों को प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त राज्य की अवशेष जनसंख्या को भी राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत चयनित कार्ड धारकों को 7.5 कि0ग्रा0 खाद्यान्न व 7.5 कि0ग्रा0 चावल की राज सहायता **₹** 75.00 प्रति कार्ड धारक/लाभार्थी को सब्सिडी की

धनराशि सीधे उनके **खाते डी0बी0टी0 (सीधे लाभ अन्तरण के अन्तर्गत) भुगतान की जा रही है।**

18.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के दुर्विनियोग व काला बाजारी को रोकने हेतु व उपभोक्ताओं को नियमित वस्तुएं निर्धारित मात्रा व उचित मूल्य पर दुकानों में सुचारू रूप से उपलब्ध कराने हेतु End to End कम्प्यूटराईजेशन के अन्तर्गत राशन कार्डों को शतप्रतिशत डिजीटाईजेशन कर आधार कार्ड से जोड़ा गया है। **एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन के अन्तर्गत राज्य की समस्त राशन की दुकानों पर सी0एस0सी0 के माध्यम से राज्य में निःशुल्क लैपटॉप, प्रिन्टर, बायोमैट्रिक डिवाईस तथा डोंगल (मय सिम) के उपलब्ध कराया जा रहा है।**

18.3 रबी खरीद वर्ष 2017–18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गेहूँ नामित क्रय एजेसियों के माध्यम से 2403.942 मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी जिसे विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता हेतु स्टेट पूल योजना में 2403.942 मी0टन गेहूँ का सम्प्रदान किया गया। कृषकों से खरीदे गये गेहूँ की समस्त मात्रा का भुगतान संबंधित कृषकों को किया जा चुका है।

18.4 प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुविधा के दृष्टिगत राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया है कि केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना से अनाच्छादित समस्त परिवारों को वर्ष 2020 तक निःशुल्क गैस सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु ₹ 275.64 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

19—नागरिक उड्डयन :

विभाग द्वारा विगत वर्षों के दौरान राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तथा धारचूला, गूँजी तथा मालपा में आयी दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य एवं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। राज्य में पर्यटन के विकास हेतु देहरादून में सहस्त्रधारा हैलीपैड से श्री केदारनाथ दर्शन, हेमकुण्ड साहिब दर्शनयात्रा प्रारम्भ की गयी है।भविष्य में 24 विभागीय हैलीपैड तथा 27 पी0आई0यू0 द्वारा ए0डी0बी0 के सहयोग से निर्मित हैलीपैडों का उपयोग भी **''रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम''** के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है। **उक्त योजना के संचालन हेतु वर्तमान आय—व्ययक में ''क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (UDAN)''अन्तर्गत ₹ 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस योजनान्तर्गत पिथौरागढ़, गौचर, चिन्यालीसौड़, धारचूला, अल्मोड़ा, नैनीताल और रामनगर के लिए सस्ती हवाई सेवाएं प्रारम्भ की जायेंगी। उत्तराखण्ड उड्डयन विकास प्राधिकरण हेतु कुल ₹ 18 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है तथा अन्य मदों में भी समुचित धनराशि का प्राविधान किया गया है।**

20—ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

20.1 उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की **''दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना''**के अन्तर्गत चिन्हित 94 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 63 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 31 गाँवों का विद्युतीकरण पूर्ण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। छोटे शहरों में विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र सरकार की इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) के अन्तर्गत प्रदेश के 36 छोटे शहरों में कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं जिन्हें अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुनर्गठित—त्वरित विद्युत एवं सुधार कार्यक्रम (R-APDRP)के

अन्तर्गत 31 शहरों में Part-Aके अन्तर्गत IT Implementation का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा Part-Bके अन्तर्गत विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य 30 शहरों में पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष एक शहर में कार्य अन्तिम चरण में है। इस कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त राज्य के छोटे शहरों में विद्युत उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्वक आपूर्ति में वृद्धि होगी।

20.2 उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 में अब तक 154 MVA क्षमता के कुल 11 नग 33/11 KV उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण एवं 113 MVA क्षमता के कुल 10 नग 33/11 KV उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

20.3 वर्ष 2017–18 में पिटकुल द्वारा उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराने के प्रयास किये गये **हैं। वर्ष 2017–18 में प्रदेश में वर्तमान तक पारेषण तंत्र की उपलब्धता 99. 31 प्रतिशत रही है।**

20.4 वर्तमान में यूजेवीएन लि0 के अन्तर्गत 1289.35 MW जल विद्युत परियोजनाएं परिचालन में हैं तथा 150.75 MW जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। **नई परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में 120 MW क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। माह नवम्बर में पौड़ी जनपद में स्थित 1.5 MW दुनाव परियोजना एवं माह जनवरी, 2018 में चमोली जनपद में स्थित 3 MW की उर्गम परियोजना का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ किया गया।** इन परियोजनाओं के निर्माण से राज्य में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि होगी साथ ही आस–पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।

20.5 यूजेवीएन लि0 द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा में नई उपलब्धि प्राप्त करते हुये 6.466 MW की सोलर परियोजनाओं, 19 MW की

कैनाल बैंक एवं 01MW की कैनाट टॉप सोलर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही 16 MW की नादेही एवं 22MW की बाजपुर बगास आधारित परियोजना के निविदा का कार्य प्रगति पर है।

20.6 प्रदेश के सभी विकास भवनों/कलेक्ट्रेट भवनों में ऊर्जा बचत हेतु **एक्यूपेंन्सी सेंसर** लगाकर 15 से 20 प्रतिशत विद्युत खपत में कमी लाई गई है। नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्रों स्वच्छ ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने हेतु **एल0ई0डी0** आधारित योजनाओं की स्थापना प्रारम्भ की गई है। देहरादून नगर निगम में 5200 एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट स्थापित कराई जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित **"उजाला कार्यक्रम"** को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष कुल 8.04 लाख एल0ई0डी0 बल्ब वितरित कराये गये हैं। वर्तमान तक कुल 44 लाख बल्ब वितरित हो चुके हैं, जिससे 576 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत खपत में कमी लाई गई है। इस प्रयोजन हेतु महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी एल0ई0डी0 वितरित किया जायेगा। **सन् 2020 तक हरिद्वार व देहरादून के सभी सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। ऊर्जा विभाग को और अधिक क्रियाशील करने हेतु₹ 1600 करोड़ का ई0ए0पी0 प्रोजेक्ट प्रेषित किया गया है जिस पर शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग हेतु **₹** 319.94 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

21–सड़क एवं सेतु :

21.1 वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अवस्थापना विकास के साथ–साथ सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण के लिए उच्च एवं विशिष्ट प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 437 किमी0

मार्गों का नवनिर्माण, **812 किमी0 लम्बाई में मार्गों का पुनर्निर्माण एवं 51 नं0 सेतुओं का निर्माण कार्य किये जाने के साथ–साथ मोटर मार्गों से असंयोजित 76 ग्रामों को मोटर मार्गों से संयोजित किया गया है।**

21.2 प्रदेश में पर्यटन एवं तीर्थाटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त व सुगम सड़क यातायात सुविधा प्रदान किये जाने के लिये उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 424 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का नवीनीकरण कार्य किये जाने के साथ–साथ 307 कि0मी लम्बाई में मार्गों के सतह मरम्मत का कार्य भी सम्पादित किया गया है। लोक निर्माण विभाग के उल्लेखनीय प्रयासों से वर्ष 2017 में सम्पन्न चारधाम यात्रा हेतु विभाग के अधीन 507 किमी0 चारधाम यात्रा मार्गों को बेहद कुशलतापूर्वक एवं योजनाबद्ध तरीके से यातायात हेतु उपलब्ध रखा गया जिसके कारण वर्ष 2017 में रिकार्ड तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा चारधाम के दर्शन किये गये।

21.3 उत्तराखण्ड राज्य एवं पर्वतीय राज्य होने के साथ–साथ भौगोलिक व जलवायु दृष्टि से अतिसंवेदनशील राज्य है। वर्षाकाल में अवरूद्ध 1816 मोटर मार्गों को तात्कालिक रूप से जन यातायात हेतु उपलब्ध कराया गया **तथा 37 क्षतिग्रस्त सेतुओं के स्थान पर वैली ब्रिज एवं वैकल्पिक सेतुओं का निर्माण करते हुये अवरूद्ध यातायात को त्वरित रूप से बहाल किये जाने का सराहनीय कार्य किया गया है।**

21.4 राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना जनपद टिहरी में देश का सबसे लम्बा मोटर झूला पुल डोबराचाटी 440 मी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर **चौरास को जोड़ने हेतु अलकनन्दा नदी पर 190 मीटर लम्बाई में डबल लेन सेतु** का

निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप डाटकाली मन्दिर के समीप 2 लेन टनल का वर्तमान तक टनल का 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में इसे पूर्ण किया जाना लक्षित है।

21.5 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 20 नं0 राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु 340.25 किमी0 लम्बाई, लागत ₹ 3457.12 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्राप्त है। इसे वित्तीय वर्ष 2019–2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।**बाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत लगभग ₹ 2000 करोड़ की योजना की स्वीकृति भारत सरकार से 2018–19 में सम्भावित है।**

21.6 राष्ट्रीय राजमार्ग **संख्या–72 (नया नं0–07) के किमी0 165 में देहरादून शहर के अन्तर्गत मोहकमपुर में रेलवे क्रासिंग के ऊपर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा।** राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 (नं0–07) के किमी0 161 में देहरादून शहर के अन्तर्गत अजबपुर रेलवे क्रासिंग के ऊपर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य, वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। जनपद हरिद्वार में डौसनी एवं चुड़ियाला पर रेलवे ओवर ब्रिज, सेतु भारतम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 एवं 121 के काशीपुर में ई0पी0सी0 मोड में आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें वर्ष 2019–20 तक पूर्ण किया जायेगा।

21.7 लोक निर्माण विभाग द्वारा **इनोवेटिव कार्य के रूप में वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। विभागीय निर्माण कार्यों में पहाड़ कटान आदि कार्यों के दौरान प्राप्त होने वाली लोकल मैटिरियल यथा पत्थर, मिट्टी आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु warm mix तथा cold mix तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सड़क एवं सेतु विभाग हेतु ₹ 2053.92 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

22–औद्योगिक विकास :

22.1 राज्य में निजी क्षेत्र में अधिकाधिक पूँजी निवेश प्रोत्साहित कर राज्य के आर्थिक विकास को गति देने, प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अभिवृद्धि तथा रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन में उद्योग श्रेत्र का विकास महत्व है। निवेशकों के लिये पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमतियों, अनुमोदनों हेतु **"ईज ऑफ डुईंग बिजनेस"** की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। भारत सरकार द्वारा की गई रैंकिंग में वर्ष 2016 में राज्य नवें स्थान पर रहते हुए लीडर श्रेणी में सम्मिलित है। वर्ष 2017 के कार्यबिन्दुओं पर और सजगता से कार्यवाही की गई है, जिससे कि राज्य में निवेश हेतु बेहतर वातावरण बनाया जा सके। **"उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था"** ऑनलाइन रूप से लागू है। इसके लिये एक संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com)विकसित किया गया है, इसमें उद्यमी एक ही पोर्टल पर जाकर सभी सूचनाएं यथाः अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ एवं अनुज्ञायें निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं। योजनान्तर्गत **"निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र" की स्थापना की गई है।**

22.2 राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 55864 सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम स्थापित हुये हैं। इनमें ₹ 11667.38 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है एवं 274166 लोगों को रोजगार मिला है।

22.3 भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य को गत वर्ष के ₹ 16 करोड़ मार्जिन मनी के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में बढ़ाकर तीन गुना करते हुये ₹ 48 करोड़

कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा माह दिसम्बर, 2017 तक ₹ 34.22 करोड़ की मार्जिन मनी के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं और 1878 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है। देहरादून मेंCentral Institute of plastics and Engineering Technology (CIPET) की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।**भारत सरकार द्वारा प्रदेश में उद्यमिता विकास हेतु ₹ 600 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी है, जिस पर वर्ष 2018–19 में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।**

22.4 राज्य में विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से **उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निवेशक सम्मेलन "डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड" आयोजित किया जायेगा।इस हेतु ₹ 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।**

22.5 राज्य मेंपलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को गति प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से राज्य में पी0पी0पी0 मोड पर सिलाई प्रशिक्षण/उत्पादन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र के अनुभवी उद्यमी/संस्थानों को इन केन्द्रों के संचालन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। काशीपुर में डिजाइन केन्द्र के समुचित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड के युवाओं को एपरेल, एम्ब्राईडरी एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान कर इस केन्द्र की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा काशीपुर एवं जसपुर क्षेत्र को टेक्सटाईल उद्यम के लिये विकसित किया जा रहा है, ऐसे में इस केन्द्र की महत्ता और भी सार्थक होगी। अतः राजकीय डिजाइन केन्द्र काशीपुर का उन्नयन करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने हेतु सुधारीकरण प्रस्तावित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत

आगामी 03 वर्षों में 10,000 महिला उद्यमियों को 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश उपादान एवं 06 प्रतिशत तक ब्याज उपादान के माध्यम से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

22.6 खनन विभाग की मुख्य भूमिका प्रदेश में अवैध खनन को रोकते हुए खनन के माध्यम से राज्य की आर्थिकी में सहयोग प्रदान करना है। राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा **चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह फरवरी, 2018 तक खनिजों से कुल ₹ 323 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जो गत वर्ष इस तिथि तक प्राप्त कुल राजस्व से 23 प्रतिशत अधिक है।**इसके साथ ही जनवरी, 2018 तक 3185 खनन के क्षेत्रीय निरीक्षण से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। खनन सर्विलांस योजना के अन्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु मैनुअल परिवहन प्रपत्र के स्थान पर **'ई–रवन्ना प्रणाली'** लागू कर दी गई है तथा आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण कार्य व मुख्यालय स्तर पर 45 MBPS इन्टरनेट संयोजन लेते हुये कन्ट्रोल रूम को स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। राज्य में रिक्त उप खनिज क्षेत्रों को पारदर्शी ई–निविदा/सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन एवं राजस्व में वृद्धि हेतु **उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार संशोधन नियमावली,2017 प्रख्यापित की गयी है।**

22.7 खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिलाखनिज न्यास का गठन एवं तद्सम्बन्धी नियमावली का प्रख्यापन किया गया। राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास(NMET)के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्य हेतु पट्टा धारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराये जाने का प्राविधान कर दिया गया है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत खनन प्रशासन कार्यकलापों के अन्तर्गत 2500 क्षेत्रीय निरीक्षण के भौतिक **लक्ष्य एवं ₹ 700 करोड़ का राजस्व अर्जन का लक्ष्य प्रस्तावित है।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में औद्योगिक विकास विभाग हेतु ₹ 307.88 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

23–आवास एवंशहरी विकास :

23.1 उत्तराखण्ड राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित विकास राज्य की प्रमुख समस्या के रूप में रेखांकित हुयी है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए नियोजित विकास हेतु विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के माध्यम से नियोजित विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करने के साथ ही **चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल 11 जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है।**राज्य में प्रथम बार समस्त विकास क्षेत्रों में जी0आई0एस0 आधारित बेस मैप तैयार किये जाने एवं महायोजना बनाये जाने का कार्य गतिमान है। समस्त प्राधिकरणों में मानचित्र स्वीकृति हेतु आम जनमानस की सुविधा एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत ऑनलाइन मैप एप्रूवल सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। **सम्पूर्ण राज्य में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मॉडल बिल्डिंग बाइलॉज तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है** तथा जन आपत्ति आमंत्रण हेतु प्रक्रिया गतिमान है। **उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न शहरों एवं नगरों की महायोजना सर्वे हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में धनराशि ₹ 25 करोड़ प्राविधानित की जानी प्रस्तावित है।**

23.2 मुझे सदन को यह अवगत करते परम हर्ष हो रहा है कि **देहरादून शहर का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है।**राज्य में बढ़ते जनसंख्या के दबाव के समाधान की दिशा में **'स्मार्ट स्टेट'** के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में **देहरादून सिटी में मैट्रो ट्रेन के सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 हेतु₹ 11 करोड़ धनराशि प्राविधानित की जानी प्रस्तावित है।देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश मेट्रोपोलिटन क्षेत्र हेतु सी0एम0पी0**

बनाये जाने के लिए फर्म का चयन कर लिया गया है। शहरी एवं पैरी अर्बन कस्बों के समन्वित विकास हेतु यह आवश्यक है कि इसकी आपसी कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जाये एवं ये सुनियोजित ढंग से विकसित हों।

23.3 उत्तराखण्ड राज्य में गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों के अनुदान हेतु धनराशि प्राविधानित की गयी है। इसी के अन्तर्गत **राज्य में दुर्बल आय वर्ग भवनों के लिए सरकार द्वारा उत्तराखण्ड आवास नीति, 2017 प्रख्यापित की गई है।**

23.4 शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत 08 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषदें एवं 43 नगर पंचायतें इस प्रकार कुल 92 नगर निकाय हैं। विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं यथा उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (UA-URIF), नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास, नगर पालिकाओं में पार्कों की स्थापना, श्वान पशु बंध्याकरण ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण, सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना, हाईटेक शौचालयों का निर्माण, नेशनल अरबन लाईवलीहुड मिशन (NULM), स्वच्छ भारत अभियान, अटल नवीनीकरण योजना (अमृत), प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी आदि संचालित की जा रही हैं।

23.5 प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट शीशमबाड़ा, देहरादून में कार्यशील किया जा चुका है। कैन्टोमेंट बोर्ड को सम्मिलित करते हुये राज्य के सभी 100 शहरी निकायों ने स्वयं को ओ0डी0एफ0 घोषित किया है। राज्य सरकार 2020 तक गंगा नदी में अनुपचारित अविशिष्ट प्रवाहित करने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु कृत संकल्पित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवास एवं शहरी विकासविभाग हेतु ₹ 773.20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

24—खेल एंव युवा कल्याण :

24.1 सरकार द्वारा राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल हेतु आधारभूत संरचना से सम्बन्धित निर्माण कार्य खेलों से पूर्व पूर्ण कर लिये जायेंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में एथलेटिक्स सिंथैटिक 3000 दर्शकों की क्षमता वाले दर्शकदीर्घा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार का शहरी खेल अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून के हॉकी ग्राउण्ड में एस्ट्रोटर्फ तथा काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) में बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण किया गया है। सभी जनपदों में लोकप्रिय एवं प्रचलित खेलों के प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को विभाग द्वारा निःशुल्क खेल प्रशिक्षण एवं खेल साम्रगी प्रदान की जाती है। वर्तमान में खेल विभाग द्वारा 200 प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें प्रतिमाह 5000 खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं।

24.2 राज्य में खेल महाकुम्भ योजना का आयोजन कर युवाओं को खेल के प्रति जागरूक कर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा राज्य में पूर्व में निर्मित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों/मिनी स्टेडियमों में युवाओं के खेलकूद सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु व्यायाम प्रशिक्षकों की तैनाती की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018—19 में खेल एवं युवा कल्याणविभाग हेतु ₹ 79.38 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

25—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

25.1 शासन के विजन—2020 के अनुरूप राज्य में उत्कृष्ट वैज्ञानिक मानव संसाधन विकसित करने **हेतु विज्ञान धाम परियोजना अन्तर्गत क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा चुकी**

है।राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में विज्ञान की गतिविधियों के प्रचार–प्रसार हेतु ग्राम अधेली तिवाड़ी, पटवारी क्षेत्र रैखोली, तहसील अल्मोड़ा में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र (विज्ञान पार्क) की स्थापना, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एन0सी0एस0एम0), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं अन्तर्गत परिषद् में वन एवं आजीविका पर Centre of Excellenceकी स्थापना की गयी है एवं राज्य के सभी जिलों की Resource Atlasबनाने की प्रक्रिया गतिमान है।

25.2 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के अन्तर्गत राज्य में आपदा प्रबन्धन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर आधारित अध्ययन हेतु **''आपदा प्रबंधन सैल''** का गठन किया गया है। **हरिद्वार के अलावलपुर विलेज में जी0आई0एस0 आधारित अध्ययन पाइलट मोड में शुरू किया गया है, इसके अन्तर्गत गाँव में उपलब्ध संसाधनों/सुविधाओं जैसे–आंगनवाड़ी, ए0एन0एम0 सेन्टर, चिकित्सा सुविधा, कृषि सुविधा आदि मानचित्रित किए गए हैं।** उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की भावी योजनाओं में डिजिटल डाटाबेस क्रिएशन, डाटा मैप लाईब्रेरी एण्ड विजुअल इन्टरप्रिटेशन लैब इमेज प्रोसेसिंग, (एटलस क्रिएशन, डाटा रिपोजिटरी) प्रदेश के भू–अभिलेखों का खसरा स्तर पर भू–मानचित्रीकरण, स्नो–ग्लेशियर एण्ड क्लाइमेट चेंज स्टडीज, अर्थ सिस्टम सांइस नेचुरल हैजार्ड मैपिंग डिजास्टर फोरवार्निंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, लैण्ड यूज एण्ड अरबन सर्वेज, स्लम एरिया मैपिंग,ट्रेनिंग आन आर0एस0/जी0आई0एस0, वैब आधारित डिसिजन सपोर्ट सिस्टम आदि सम्मिलित है।

25.3 यूसर्क द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार "Science of Revival of Rivers" कार्यक्रम के अन्तर्गत**'रिस्पना नदी' एवं 'कोसी' नदी** के पुनर्जीवीकरण हेतु जल गुणवत्ता का अध्ययन एवं अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। **यूसर्क द्वारा 'रिस्पना नदी का**

पुनर्जीवीकरण नामक 'एन्ड्रॉइड एप' विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2018 को किया गया।

26–सूचना प्रौद्योगिकी :

26.1 मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंत्र"IT+IT=IT; Indian Talent+ Information Technology= India Tomorrow"से प्रेरणा लेते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभागद्वारा विभिन्न योजनाओं को राज्य में सफलता पूर्वक लागू किया गया है, जिससे कतिपय विभागों की कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व सुधार सम्भव हो सका है एवं शासकीय कार्य के निष्पादन में गति आयी है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों यथा एन0आई0आई0 पायलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत देश के 8 जनपदों में से राज्य के जनपद हरिद्वार भी सम्मिलित है के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में ग्रामपंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। **नेशनल क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर तथा एन0टी0आर0ओ0 माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी भवन में तकनीकी लैब स्थापित की जा रही है, इसके अन्तर्गत राज्यकर्मियों को साइबर सिक्योरिटी की दक्षता हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा ड्रोन एप्लीकेशन पर शोधकर्ताओं तथा प्रशिक्षुओं की क्षमता को विकसित किया जायेगा।**

26.2 स्वान योजना के अन्तर्गत पूरे राज्य में स्थापित 133 PoP (Point of Presence)के माध्यम से ब्लॉक/तहसील स्तर तक वर्टीकल कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। हॉरिजेन्टल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय, जनपद, ब्लॉक/तहसील स्तर पर स्थित विभिन्न सरकारी विभागों को स्वान नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में राज्य के समस्त कोषागार, वाणिज्य कर कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, रोजगार, परिवहन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, इत्यादि के लगभग 1235 कार्यालय

संयोजित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में भी अन्य कार्यालयों एवं विभागों को स्वान नेटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

26.3 **"ई–शासन योजना"** अन्तर्गत प्रदेश में जनमानस को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शासकीय तथा गैर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व में औसतन 06 गांवों के मध्य एक सेंटर स्थापित करने के आधार पर 2804 सी0एस0सी0 की स्थापना किये जाने का लक्ष्य था। पुनः CSC 2.0के तहत अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामान्य सेवा केन्द्र प्रस्तावित है, जिसके अनुसार राज्य में कुल 7950 केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य था, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। इन केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। **भविष्य में सेवा का अधिकार के अन्तर्गत सूचीबद्ध नागरिक केन्द्रित समस्त सेवाओं को सी0एस0सी0 तथा सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।**

26.4 **"ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना"** का क्रियान्वयन समस्त जनपदों में किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद पौड़ी में 16 सेवाएं तथाअन्य जनपदों में 13 सेवाएं ऑनलाइन की गयी हैं। शीघ्र ही ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत सेवायोजन, रेवेन्यू कोर्ट, खाद्य एवं आपूर्ति तथा समाज कल्याण विभागों से सम्बन्धित सेवाएं आरम्भ कर दी जायेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत राज्य हेतु ई–गवर्नेन्स रोडमैप एवं कैपेसिटी बिल्डिंग रोड़ मैप तैयार किया गया है।

27–पर्यटन :

27.1 प्रदेश को पर्यटन भूमि के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। पूर्व से संचालित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कतिपय अन्य पर्यटन व्यवसायों यथा कैरेवन ट्यूरिज्म, एंगलिंग उपकरणों का क्रय, एस्ट्रोनामी पर्यटन व्यवसाय, आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटन

सूचना केन्द्र आदि को सम्मिलित किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों हेतु **"श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट" की स्थापना की गयी है।केदारनाथ के दर्शन कर वापस आने वाले यात्रियों के डि–रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहली बार की गयी।अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव (दिनांक 1 से 7 मार्च, 2018)** के दौरान महर्षि महेश योगी आश्रम चौरासी कुटिया ऋषिकेश में बीटल्स आगमन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

27.2 विभाग द्वारा **राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय मातृ–पितृ तीर्थाटन योजना में नये धार्मिक स्थलों यथा ताड़केश्वर धाम (पौड़ी), कालीमठ (रूद्रप्रयाग), जागेश्वर (अल्मोड़ा), गैराड़ गोलू (बागेश्वर), गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) तथा बैजनाथ (बागेश्वर) को सम्मिलित किया गयाहै।दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत 13 जिला में 13 डेस्टीनेशन विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।** इसके अन्तर्गत जो डेस्टीनेशन विकसित एवं प्रचलित हैं उनको छोड़कर अल्पज्ञात पर्यटन स्थल/नवीन डेस्टीनेशन के रूप में विकसित किये जायेंगे। इन नये पर्यटन गन्तव्यों में पर्यटन की दृष्टि से अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेगी, जिससे कि प्रदेश में पर्यटकों को उच्च स्तर की सुविधाएं सुलभ हो सके। **विभाग द्वारा हाल ही में होम–स्टे पॉलिसी प्रख्यापित की गयी है। जिसके माध्यम से अनुदान प्रदान कर होम–स्टे निर्मित/विकसित किये जाने हेतु प्रदेशवासियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, इससे जहाँ एक ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार का साधन प्राप्त होगा वहीं पर्यटकों को राज्य की संस्कृति से परिचित कराया जा सकेगा। इससे राज्य के सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।**

27.3 पर्यटन स्थलों को रोप–वे से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में सुरकण्डा देवी व पूर्णागिरि रोप–वे का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में पर्यटनविभाग हेतु ₹ 183.37 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

28–बैंकिंग सेवाएं :

वित्तीय समावेश के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों को आवंटित कनेक्टिविटी रहित 716 सब–सर्विस एरिया (एस0एस0ए0) में से 451 एस0एस0ए0 में बैंकों द्वारा वी0सेट स्थापित कर दिये गये तथा इन एस0एस0ए0 में बैंकों द्वारा बैंक मित्र/बिजनेस क्रासपेंडेंट के माध्यम से जनसाधारण को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार कुल 20,56,975 हाउस होल्ड में न्यूनतम एक व्यक्ति का बैंक खाता खोले जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 2278050 सदस्यों के बचत बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा इनमें से **''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना''** के अन्तर्गत 17,56,325 **''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना''** के अन्तर्गत 4,78,937 एवं **''अटल पेंशन योजना''** के अन्तर्गत 61278 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है। बैंकों द्वारा खोले गये 22,78,050 बचत खातों में से 18,27,764 रूपे–डेबिट् कार्ड जारी किया जा चुके हैं। **''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना''** के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 52086 लाभार्थियों को ₹ 968.48 करोड़ के ऋण वितरित किये गये हैं इसी प्रकार **''स्टैण्ड अप इण्डिया''**, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थी को ₹ 10 लाख से 01 करोड़ तक स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक ऋण का प्रावधान है, में बैंकों के द्वारा 380 लाभार्थियों को ₹ 85.23 करोड़ के ऋण वितरित किये गये हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी की डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की योजना के दृष्टिगत आधार आधारित पेमेंट, भीम एप तथा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) के लिये जनसाधारण के बैंक खाते में आधार नम्बर की सीडिंग की जा रही है, जिसके लिये बैंकों द्वारा 77.1 प्रतिशत बचत बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कर

लिया गया है।**वर्ष 2020 तक राज्य सरकार अपनी सभी योजनाओं को डी0बी0टी0 के माध्यम से संचालित करेगी।**

29–वाणिज्य कर :

29.1 "One Nation One Tax"के सिद्धान्त के अनुगमन में सम्पूर्ण देश में जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात्दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक राज्य में कुल 51,367 नये पंजीयन जी0एस0टी प्रणाली में जारी किये जा चुके हैं तथा पुराने 83,385 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी में प्रवर्जित (Migrate)किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,34,752 हो चुकी है, जो कि पूर्व में वैट की संख्या से 60 प्रतिशत अधिक है।

29.2 ब्लॉक स्तर पर 'कॉमन सर्विस सेंटर्स' को 'जी0एस0टी0' सेवा केन्द्रों के रूप में सक्षम बनाकर तैयार किया गया है एवं राज्य भर से लगभग 1189 जी0एस0टी0 मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। जी0एस0टी0 मित्र व्यापारियों को पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग, भुगतान एवं रिफण्ड सम्बन्धी ऑनलाइन सुविधाओं हेतु सहायता करेंगे एवं जी0एस0टी0 अधिनियम में प्रावधानितTax Practitioners के रूप में कार्य करेंगे। इस पहल से न केवल युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त होगा वरन् दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापारियों को सुविधा प्राप्त होगी।

29.3 जनहित में शासन द्वारा ''व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना'' दिनांक 19.11.2017 से दिनांक 18.11.2018 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूपये पाँच लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में वाणिज्य कर विभाग हेतु ₹ 157.41 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

30—गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

30.1 प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में थाना थलीसैंण, थाना पैठाणी एवं रिपोर्टिंग पुलिस चौकी पाबो की स्थापना की गयी एवं पुलिस थाना त्यूनी थाना चकराता की विस्तारीकरण की अधिसूचना निर्गत की गयी है साथ ही पुलिस थाना मुक्तेश्वर, थाना भवाली, थाना अल्मोड़ा, थाना भतरौजखान, थाना लमगड़ा एवं थाना सोमेश्वर तथा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खैरना का विस्तारीकरण किया गया है। **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य देश में दूसरा सबसे सुरक्षित राज्य घोषित हुआ। पूरे देश में 15039 थानों में से टॉप 10 थानों में उत्तराखण्ड के 02 थानों बनभूलपुरा एवं ऋषिकेश ने स्थान पाया।**जुलाई—2017 में देश मे पहली बार लगभग 100 एटीएम क्लोनिंग की घटनाओं का एस0टी0एफ0 एवं देहरादून पुलिस द्वारा अनावरण किया गया। विगत 10 माह में अपराधियों के विरूद्ध सघन अभियान चलाकर 90 ईनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पहाड़ों से पलायन रोकने हेतु 06 सीमावर्ती जनपदों के मूल निवासी पुलिस कर्मियों को गृह जनपद में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जो सफल रहा। जून 2017 मे **'आपरेशन स्माईल'** द्वारा 331 गुमशुदा बालक/बालिकाओं को बरामद कर उनके परिवार के सुपुर्द किया गया। नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुये उक्त अवधि में ₹ 7.55 करोड़ की अवैध शराब एवं ₹ 10.44 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया।

30.2 राज्य में चार—धाम यात्रा 2017 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु उत्तम पुलिस संचार व्यवस्था प्रदान की गयी है।पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण हेतु इस बजट में भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन अनुदान, पुलिस एवं अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आदि हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। **राज्य में अज्ञात शवों**

के दाह संस्कार हेतु भी नई मांग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

30.3 राज्य के दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्रों में खोज एवं बचाव तथा राहत कार्यों में दक्षता एवं विभाग के मनोबल को बढ़ाये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य पुलिस के एक दल को माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण दल भेजे जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

30.3 कारागार विभाग के अन्तर्गत चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। प्रत्येक कारागार में निरूद्ध बंदियों हेतु दैनिक दिनचर्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंदी कल्याणकारी कैन्टीन की स्थापना की गई जिसमें बन्दी अपनी आवश्यकता के अनुरूप खाने–पीने व अन्य प्रसाधन की वस्तुएं जो कारागार नियमावली के अनुसार वैध है प्राप्त कर सकते हैं। कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की शिक्षा हेतु एस0आई0ओ0एम0 द्वारा जिला कारागार हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी में विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्य के सभी कारागारों में ''**ई–प्रीजन योजना**''प्रारम्भ की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में गृह एवं आन्तरिक सुरक्षाविभाग हेतु ₹ 1935.61 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

31–राजस्व :

31.1 वर्तमान में राज्य में कुल 110 तहसील, 18 उप तहसील एवं 67 उप मण्डल (परगना), 13 जनपद व 02 मण्डल अस्तित्व में हैं। **''ईज ऑफ डूईंग'' के अन्तर्गत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–143 के अन्तर्गत दिये जाने वाली भूमि के उपयोग की अनुमति से सम्बन्धित आवेदन पत्र एवं स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु जनसामान्य के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।** पॉयलट जनपदों के कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटाईजेशन योजना के अन्तर्गत पॉयलट जनपद पौड़ी गढ़वाल में 95 प्रतिशत नक्शों का एवं जनपद अल्मोड़ा में 75

प्रतिशत नक्शों की स्कैनिंग का कार्य किया जा चुका है एवं अवशेष की स्कैनिंग तथा वैलीडेशन/डिजिटाईजेशन की कार्यवाही गतिमान है। **वर्ष 2020 के अन्तर्गत भू–अभिलेख नामान्तरण एवं राजस्व न्यायालयों का पूर्ण डिजिटाईजेशन कर लिया जायेगा।**

31.2 राज्य में **डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRM)** योजना के अन्तर्गत चयनित पायलट जनपद क्रमशः अल्मोड़ा व पौड़ी गढ़वाल के कैडस्ट्रल नक्शों को डिजिटाईज कराये जाने के लिए निविदा जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त पॉयलट जनपदों की तहसीलों में मॉडल रिकार्ड रूम की स्थापना कराये जाने व सर्वे व पुनः सर्वे सम्बन्धी कार्यों को निविदा के माध्यम से करवाये जाने की प्रक्रिया भी गतिमान है व शीघ्र पूर्ण होना सम्भावित है। मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के 50 ग्रामों व जनपद नैनीताल के 02 ग्रामों एवं जनपद हरिद्वार के 124 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया गतिमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के जोतों का एकीकरण, भू–सुधार, जैविक कृषि तथा पलायन को दृष्टिगत रखते हुए पर्वतीय चकबन्दी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार 03 ग्रामों (ग्राम पंचूर, ग्राम औणी तथा खैरासैंण) में पर्वतीय चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

31.3 प्रदेश में **चारधाम परियोजना हेतु 824.60 कि0मी0 में से 700.45 कि0मी0 भूमि अर्ज प्रक्रिया गतिमान है।** चारधाम अर्जन परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 264.93 करोड़ प्रतिकर की धनराशि में से ₹ 207.40 करोड़ आवंटित की जा चुकी है। **प्रदेश में उद्योगों के प्रोत्साहन के दृष्टिगत औद्योगिक प्रयोजन हेतु सूक्ष्म लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग (MSME) की थ्रस्ट सेक्टर की योजनाओं हेतु 10 करोड़ तक के पूँजी निवेश वाले उद्योगों हेतु भूमि क्रय किये जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिये जाने का प्राविधान किया गया है।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्वविभाग हेतु ₹ 394.89 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

32–आपदा प्रबन्धन :

32.1 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के शीर्ष पर्यवेक्षण में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय योजनाओं का निर्माण किया गया है तथा इन्हें लगातार अद्यतन भी किया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित क्षमता विकास हेतु समय–समय पर राज्य के विभिन्न जनपदों, विद्यालयों एवं उद्योगों से सम्बन्धित मॉक अभ्यास किया जा रहा है। **दिनांक 20.04.2017 राज्य के 13 जनपदों में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से देश में प्रथमबार वनाग्नि सम्बन्धित मॉक अभ्यास किया गया। इसके साथ ही दिनांक 12/13 अक्टूबर, 2017 को राज्य के समस्त जनपदों में भूकम्प Mock Drillकरवायी गयी है। आई0आई0टी0 रुड़की के सहयोग से राज्य में भूकम्प पूर्व चेतावनी यंत्र की स्थापना की जा रही है।** भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण हेतु अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल के कुल 180 स्थानीय राज्य मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं 06 प्रदर्शन इकाईयों का निर्माण किया गया है। **समस्त जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी विभाग के अधिकारियों को Incident Response System (IRS) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।**

32.2 आपदा की स्थिति में संचार साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था तथा जनसमुदाय को जागरूक किये जाने हेतु नवीन पहल के रूप में **राज्य में सामुदायिक रेडियों स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति विकसित की गई है,** जिसमें सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम ₹ 5.00 लाख की सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान है। **राज्य में हाईड्रोमेट नेटवर्क को मजबूत बनाये जाने की दिशा में पहल करते हुए मुनस्यारी, त्यूनी, गैरसैंण व घनसाली में ऑटोमेटिक वैदर स्टेशन**

की स्थापना की गयी है। उक्त के अतिरिक्त राज्य में 107 ऑटोमेटिक वैदर स्टेशन, 16 स्नोगेज, 28 ऑटोमेटिक रेनगेज तथा ऑर्डिनरी रेनगेज की स्थापना हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इस प्रकार राज्य में हाईड्रमेट नेटवर्क का ब्लॉक स्तर पर विस्तार हो जायेगा व इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदा से निपटने में किया जा सकेगा।

32.3 पुराने और जीर्ण क्षीण भवनों को भूकम्प सुरक्षित बनाने के लिए मजबूतीकरण (Retrofitting) की विधा का प्रयोग किया जाता है। इस विधा के प्रचार–प्रसार व प्रदर्शन के उद्देश्य से वर्तमान में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, पित्रधर, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग विद्यालय का मजबूतीकरण किया गया है। **राज्य के सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत रेपिड विजुवल स्क्रीनिंग (Rapid Visual screening) करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत अब तक करीब 11000 भवनों का RVS कराया जा चुका है** तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भवनों की रेट्रोफिटिंग का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है।

32.4 मैं, सदन को अवगत कराना चाहूँगा की **वर्ष 2020 तक राज्य के समस्त महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दलों को खोज एवं बचाव विधा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु सरकार प्रयासरत् है।** इस प्रकार ग्रामस्तर पर खोज एवं बचाव का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसमें महिलाओं एवं युवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में भी आपदा से सम्बन्धित खोज एवं बचाव प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

32.5 सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में बज्रपात को भी स्थानीय आपदा के रूप अधिसूचित किया गया है। अतः इस आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को भी राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुसार राहत प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपदा प्रबन्धन विभाग हेतु ₹ 1148.26 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

महोदय, मैं यहां पर केन्द्र सरकार का भी अत्यन्त आभार प्रकट करता हूँ जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को हर सम्भावित सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार के सतत प्रयत्नों से निम्न महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई है:–

1. चारधाम ऑलवेदर रोड योजना, जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹ 11700 करोड़ है।
2. पेयजल विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायतित लगभग ₹ 975 करोड़ की योजना की स्वीकृति।
3. पेयजल विभाग के अन्तर्गत के0एफ0डब्लू0 द्वारा बाह्य सहायतित लगभग ₹ 840 करोड़ की योजना की स्वीकृति।
4. हॉर्टिकल्चर के अन्तर्गत लगभग ₹ 700 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
5. एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत लगभग ₹ 600 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना परसैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
6. आपदा प्रबन्धन विभाग के अंतर्गत लगभग ₹ 650 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
7. ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹ 1400 करोड़ की बाह्य सहायतित परियोजना पर सैद्धान्तिक सहमति की कार्यवाही गतिमान है जिस पर शीघ्र स्वीकृति मिलने की सम्भावना है।
8. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नयी वाह्य सहायतित परियोजना पर लगभग ₹ 1500 करोड़ की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।

9. वित्त विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹120 करोड़ की बाह्य सहायतित विश्व बैंक पोषित परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹ 2000 करोड़ की एवं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹ 1000 करोड़ की नयी बाह्य सहायतित परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर गतिमान हैं। इन सब पर वर्ष 2018–19 में स्वीकृति मिलने की सम्भावना है।

महोदय मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इतनी बाह्य सहायतित परियोजनाओं पर स्वीकृति मिलना राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपरोक्त समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में आधारभूत संरचना एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास को बल मिलेगा एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

मान्यवर,

मैंवित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2018–19 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 45202.94 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें ₹ 35660 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 9542.94 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ₹ 23254.85 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 8291.23 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹18434.13 करोड़ में कर राजस्व ₹ 14963.62 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 3470.51 करोड़ अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2018–19 में ऋणों के प्रतिदान पर ₹ 3182 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ₹ 4906.12 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग ₹ 12602.37 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ₹ 1163.01 करोड़, पेंशन एवं अन्यसेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में₹ 5352.50 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2018–19 में कुल व्यय₹ 45585.09 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ₹ 35627.31 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 9957.78 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा :

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ ₹ 45202.94 करोड़ में कुल व्यय ₹ 45585.09 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2018–19 में ₹382.15 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक :

वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि ₹ 32.69 करोड़ का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि ₹ 6710.25 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2018–19 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹ 200 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2018–19 की प्राप्तियों एवं व्यय के पश्चात् अन्तिम शेष ₹ 277.46 करोड़ रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन.आई.सी. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ,जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

हिमनदों के मैदान में, छिपी बर्फ के संसार में।
आग को छूने चला हूँ, कहो क्या साथ चलोगे।।
गिरते हुए झरनों को, बहती हुई नदियों को ।
बाहों में थामने चला हूँ, कहो क्या साथ चलोगे।।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय–व्ययक सदन को समर्पित करता हूँ।

चैत्र 01, शक सम्वत् 1940

तद्नुसार

22 मार्च, 2018